कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई जिला–दुर्ग (छ.ग.)
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

क्र0 / प्र.मं.आ.यो. / न.नि. / 2025 / 433 भिलाई, दिनांक 02 / 6 / 2025

/ / आदेश / /

नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रांतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के ए.एच.पी. घटक अंतर्गत 1120 यूनिट आवास निर्माण एवं बाह्य विकास कार्य हेतु निविदाकार मेसर्स चंद्र निर्माण प्राइवेट लिमिटेड विला नं.–22 मारूति लाईफ स्टाईल, जिला–रायपुर छत्तीसगढ़ को इस कार्यालय द्वारा दिनांक 05.05.2018 को कार्यादेश जारी किया गया था तथा दिनांक 05.05.2018 को इस कार्यालय एवं निविदाकार के मध्य अनुबंध निष्पादित किया गया। कार्यालय के संबंधित अधिकारियों द्वारा समय–समय पर स्थल निरीक्षण उपरांत प्राप्त वस्तुस्थिति / कमियों के संबंध में निविदाकार को इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर जारी पत्रों / नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया, कार्यादेश दिनांक 05.05.2018 अनुसार उपरोक्त कार्य 18 माह की समयावधि में पूर्ण किया जाना था किन्तु कार्यादेश जारी होने के 07 वर्ष पश्चात् भी कार्य अपूर्ण है। कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार उपरोक्त संबंध में तथ्यात्मक स्थिति निम्नानुसार हैः–

1. इस कार्यालय द्वारा जारी कार्यादेश दिनांक 05.05.2018 अनुसार स्थल पर ले–आउट उपलब्ध कराकर कार्य प्रारंभ करने हेतु पत्र क्र. 978 दिनांक 06.08.2018 अनुसार निविदाकार को पत्र प्रेषित किया गया। किन्तु निविदाकार के द्वारा कार्य में 03 माह विलंब करते हुए कार्य प्रारंभ किया गया। कार्य प्रारंभ करने में निविदाकार द्वारा विलंब किया जाना स्वतः स्पष्ट है।

2. समयवृद्धि हेतु निविदाकार द्वारा प्रस्तुत आवेदन तथा बारचार्ट अनुसार एवं अनुबंध में उल्लेखित शर्तों के अधीन निविदाकार को समय–समय पर समयवृद्धि प्रदान किया गया था किन्तु निविदाकार द्वारा कोविड 19 के महामारी के बाद एवं तत्पश्चात निरंतर भुगतान के उपरांत भी निविदाकार द्वारा बारचार्ट अनुसार कार्य नहीं किया गया तथा समय–समय पर निरंतर प्रेषित किये गये पत्राचार का पालन भी नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप इस कार्यालय द्वारा उपरोक्त अनुबंध दिनांक 05.05.2018 को समाप्त करते हुये इस कार्यालय के पत्र क्र. / प्र.मं.आ.यो. / न.पा.नि. / 945, भिलाई दिनांक 10.07.2023 के तहत् कार्यादेश निरस्त किया गया था।

3. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 28.07.2023 पर विचार करते हुये निविदाकार द्वारा दिये गये बार–चार्ट अनुसार उक्त कार्य के लिये पुनः कार्यादेश क्रं. 1049 दिनांक 07.08.2023 के माध्यम से उपरोक्त कार्यादेश / अनुबंध दिनांक 05.05.2018 बहाल करते हुये 1120 आवास में से छत तक पूर्ण 560 आवास एवं संपूर्ण बाह्य विकास कार्य को 31 अक्टूबर 2023 तक पूर्ण करने एवं शेष 560 अधूरे आवास को 31 मार्च 2024 तक पूर्ण करने तथा अनुबंध के अतिरिक्त कोई मांग इस कार्यालय से नहीं करने तथा निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने की स्थिति में अनुबंध के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया किन्तु निविदाकार द्वारा उपरोक्त पुनः कार्यादेश दिनांक 07.08.2023 सहपठित कार्यादेश / अनुबंध दिनांक 05.05.2018 का उल्लंघन करते हुये समय–सीमा में कार्य नहीं पूर्ण किया गया, जिससे यह स्पष्ट है कि निविदाकार द्वारा कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के प्रति असंवेदनशीलता प्रदर्शित किया गया है।

4. निविदाकार को आज दिनांक तक 2895.01 लाख रूपये **(कुल कार्य का 58%)** भुगतान किया जा चुका है, वर्तमान में कोई भी चल देयक भुगतान हेतु लंबित नहीं है किन्तु निविदाकार द्वारा कार्य में रूचि नहीं लिये जाने के कारण एवं लेबर, मशीनरी कम रखे जाने से शेष कार्य अभी भी अपूर्ण है, इस प्रकार निविदाकार के द्वारा शासन की महत्वाकांक्षी योजना के संबंध में शासन से निधि प्राप्त करने के बावजूद कार्य अधूरा रखते हुये प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न की गयी है।

5. निविदाकार द्वारा निर्माण कार्य के धीमी गति रखने, पर्याप्त मशीनरी एवं लेबर नही पाये जाने एवं दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण समय–समय पर क्रमशः कार्यालय के पत्र क्. 09 दिनांक 02.04.2024, पत्र क्. 51 दिनांक 19.04.2024, पत्र क्. 137 दिनांक 20.05.2024, पत्र क्. 371 दिनांक 19.07.2024, पत्र क्. 595 दिनांक 12.09.2024, पत्र क्. 620 दिनांक 20.09.2024, पत्र क्. 725 दिनांक 14.11.2024, पत्र क्. 766 दिनांक 04.12.2024, पत्र क्. 792 दिनांक 13.12.2024, पत्र क्. 807 दिनांक 16.12.2024, पत्र क्. 852 दिनांक 31.12.2024, पत्र क्. 10 दिनांक 06.01.2025, पत्र क्. 78 दिनांक 04.02.2025, पत्र क्. 167 दिनांक 27.02.2025, पत्र क्. 290 दिनांक 07.04.2025, पत्र क्. 436 दिनांक 25.04.2025, पत्र क्. 523 दिनांक 05.05.2025 तथा पत्र क्. 384 दिनांक 15.05.2025 के माध्यम से निविदाकार को नोटिस प्रेषित कर उपरोक्त कार्य पूर्ण करने लेख किया गया किन्तु निविदाकार के द्वारा इस कार्यालय द्वारा प्रेषित उपरोक्त 18 नोटिसों को अनदेखा करते हुये निर्देशों का पालन नहीं किया गया है तथा आज दिनांक तक कार्य अपूर्ण रखते हुये शासन की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में गंभीर बाधा उत्पन्न की गयी है।

6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा ली गई समीक्षा बैठक दिनांक 01.02.2025 में निविदाकार के द्वारा किये गये कार्य की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुये निविदाकार के प्रतिनिधि को पर्याप्त लेबर एवं मशीनरी के साथ सभी प्लिंथ स्तर के आवासों को छत स्तर तक पूर्ण करने एवं पूर्ण किश्त जमा कर चुके सभी हितग्राहियों के आवासों को दिनांक 31 मार्च 2025 तक पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये थे किन्तु समीक्षा बैठक दिनांक 01.02.2025 के पश्चात् सतत् स्थल निरीक्षण के दौरान 1120 यूनिट आवास स्थल में 15 अप्रैल तक केवल 12–15 लेबर तथा 15 अप्रैल 2025 के पश्चात् कार्यस्थल पर कोई भी लेबर एवं मशीनरी कार्य करते नही पाये गये है। निविदाकार के द्वारा कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी रखने, निर्देशो का पालन नहीं करने तथा समय–सीमा में कार्य पूर्ण नहीं करने से शासन एवं निगम की छवि धूमिल हुई है, जिसके लिए निविदाकार उत्तरदायी है।

7. सचिव महोदय, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक दिनांक 23.04.2025 में प्रधानमंत्री आवास योजना, ए.एच.पी. घटक अंतर्गत निर्माणाधीन 1120 यूनिट के आवास निर्माण एवं बाह्य विकास कार्य के प्रगति के संबंध में निविदाकार के प्रतिनिधि श्री आशीष नन्दीग्रामवार के माध्यम से निविदाकार को निर्देशित किया गया था कि हितग्राहियों को आबंटित हो चुके 524 आवासों को दिनांक 31.05.2025 तक पूर्ण किया जाना है, जिसके तारतम्य में इस कार्यालय द्वारा हितग्राहियों को आबंटित हो चुके आवासों को दिनांक 31.05.2025 तक पूर्ण करने की शर्त पर निविदाकार के विरूद्ध 0.5% दण्ड विधान अधिरोपित करते हुये समयवृद्धि प्रदान की गयी थी। पूर्व में आवास आबंटित किये गये 524 हितग्राहियों में से पूर्ण किश्त जमा किये गये 219 हितग्राहियों के आवासों की सूची मोबाईल नं. सहित निविदाकार को उपलब्ध करायी गयी थी किन्तु पूर्ण किश्त जमा किये गये 219 हितग्राहियों में से केवल 40 हितग्राहियों के आवासो को निविदाकार के द्वारा पूर्ण किया गया है एवं शेष 179 हितग्राही आवास से वंचित हुये है तथा 524 आबंटित हितग्राही में से 305 हितग्राही अपनी पूर्ण किश्त की राशि जमा करने से हतोत्साहित हुये है। निविदाकार द्वारा दिनांक 15 अप्रैल 2025 के पश्चात् कार्यस्थल पर कोई भी लेबर एवं मशीनरी कार्य में नहीं लगाया गया है, इस प्रकार निविदाकार द्वारा सचिव महोदय, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना करते हुये कार्य में कोई प्रगति प्रदर्शित नहीं की गयी है।

8. 1120 यूनिट आवास निर्माण एवं बाह्य विकास कार्य में 420 आवास फिनिशिंग स्तर (ग्रिल विण्डो, दरवाजा, टाईल्स, बिजली पानी फिटिंग, पैनल, टैप कनेक्शन, किचन फिटिंग, सैनेटरी फिटिंग), 184 आवास स्ट्रक्चर एवं छत पूर्ण तथा 516 आवास फाउण्डेशन स्तर पर है। उपरोक्त सभी आवासों का निर्माण कार्यादेश/अनुबंध दिनांक 05.05.2018 अनुसार 18 माह की समयावधि में पूर्ण किया जाना था किन्तु निविदाकार द्वारा कार्यादेश/अनुबंध शर्तो का उल्लंघन करते हुये समय–सीमा में कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, 15 अप्रैल के पूर्व निविदाकार द्वारा 12–15 श्रमिक कार्य में लगाया गया था किन्तु 15 अप्रैल 2025 के पश्चात् कार्य मौके पर पूर्णतः बंद स्थिति में है, जिससे निविदाकार द्वारा उपरोक्त कार्य पूर्ण करने में कोई रूचि नहीं लेना स्पष्ट रूप से दर्शित होता है। जिससे निविदाकार के विरूद्ध अनुबंध शर्तो के उल्लंघन हेतु कार्यवाही किया जाना अपरिहार्य हो गया है।

9. इस कार्यालय एवं निविदाकार के मध्य निष्पादित अनुबंध दिनांक 05.05.2018 की कंडिका 1.15 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि

1.15 Action when the work is left incomplete abandoned or delayed beyond the time limit permitted by the Commissioner/ E.E. of ULB Concerned. -

(i) The Executive Engineer/ Commissioner of ULB Concerned. May terminate the contract if the contractor causes a fundamental breach of the contract.

(ii) Fundamental breach of contract shall include, but not be limited to, the following:-

(a) The contractor stops work for four weeks, when no stoppage of work is shown on the current programmed or the stoppage has not been authorized by the Commissioner/E.E. of ULB Concerned...

(b) The Commissioner/ E.E. of ULB Concerned. Gives notice that failure to correct a particular defect is a fundamental breach of contract and the contractor fails to correct it within reasonable period of time determined by the Commissioner/ E.E. of ULB Concerned. In the said notice.

(c) The contractor has delayed the completion of work by the number of weeks [12 (Twelve) weeks] for which the maximum amount of compensation of 6% of contract sum is exhausted.

(d) If the contractor has not completed at least thirty percent of the value of construction work required to be completed in half of the completion period (Including validly extended period if any).

(e) If the contractor fails to appoint the technical staff and if appointed do not function properly for 4 weeks even after due written notice by the Commissioner/ E.E. of ULB Concerned..

(f) If he violates labor laws.

(g) Any other deficiency which goes to the root of the contract Performance

(iii) If the contract is terminated, the contractor shall stop work immediately, make the site safe and secure and leave the site as soon as reasonably possible.

(iv) The Executive Engineer of ULB Concerned. shall cause recording and checking of measurements of all items of work done (taking in to account quality and quantity of items actually executed) and prepare the final bill after adjusting all pervious outstanding dues. Such recording of measurements shall be done after due notice regarding time and date of recording measurement and directing the contractor to either remain present himself or his authorized representative so as to satisfy himself that the recording of measurement is just and proper. Failure on his parts either to attend and or refusing to acknowledge the measurement so recorded in the department measurement book, shall be at his sole risk and responsibility.

The Commissioner of ULB Concerned. shall forfeit the earnest money and or security deposit and further recover/deduct/adjust a compensation @ 10% (ten percent) of the balance value of work left incomplete either from the bill, and or from available security/performance guarantee or shall be recovered as "Arrears of land revenue"

अतः इस कार्यालय एवं निविदाकार के मध्य निष्पादित अनुबंध दिनांक 05.05.2018 अनुसार अनुबंध शर्तो का पालन नहीं करने, इस कार्यालय एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत ए.एच.पी. घटक अंतर्गत कार्यादेश अनुसार 1120 यूनिट आवास निर्माण एवं बाह्य विकास कार्य 07 वर्ष से अधिक की समय–सीमा में भी पूर्ण नहीं करने के कारण निविदाकार मेसर्स चंद्र निर्माण प्राइवेट लिमिटेड के विरूद्ध उपरोक्त अनुबंध की कंडिका क्रमांक–1.15 अनुसार इस कार्यालय एवं निविदाकार मेसर्स चंद्र निर्माण प्राइवेट लिमिटेड के मध्य निष्पादित अनुबंध दिनांक 05.05.2018 समाप्त करते हुये कार्यादेश निरस्त किया जाता है, अनुबंध अनुसार निविदाकार द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि एवं सुरक्षित राशि राजसात की जाती है तथा निविदाकार मेसर्स चंद्र निर्माण प्राइवेट लिमिटेड को नगर पालिक निगम, भिलाई की समस्त निविदाओं में भाग लेने से वंचित किया जाता है।

साथ ही निविदाकार द्वारा अपूर्ण रखे गये शेष कार्य की लागत राशि के 10% क्षतिपूर्ति राशि की वसूली, शेष देयक राशि व परफारमेंस गारंटी राशि से करने एवं शेष राशि भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पत्र क्र0/प्र.मं.आ.यो/न.नि./2025/434 भिलाई, दिनांक 02/6/2025

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संचालक, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, जिला–दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नवा रायपुर, अटल नगर को सूचनार्थ।
5. मुख्य अभियंता, लोक कर्म विभाग, नार्थ ब्लॉक सेक्टर 19 नवा रायपुर, अटल नगर को सूचनार्थ एवं ठेकेदार को काली सूची में दर्ज करने आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अधीक्षण अभियंता, सह नोडल अधिकारी (प्र.मं.आ.यो.) नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
7. सर्व विभाग प्रमुख,..नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. जन संपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
9. निविदाकार मेसर्स चंद्र निर्माण प्राइवेट लिमिटेड, विला नं.–22 मारूति लाईफ स्टाईल, जिला–रायपुर छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. मेसर्स सावजानी, ए.एण्ड.ई. पी.एम.सी. कंसलटेंट राजकोट, गुजरात को सूचनार्थ एवं निविदाकार द्वारा अपूर्ण/शेष कार्य का तीन दिवस के भीतर मूल्यांकन करने एवं डी.पी.आर. प्रस्तुत करने आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई जिला–दुर्ग (छ.ग.)
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

क्र0 / प्र.मं.आ.यो. / न.नि. / 2025 / 384 भिलाई, दिनांक 15 / 5 / 2025

/ / अंतिम सूचना / /

प्रति,

मेसर्स चन्द्र निर्माण प्रा.लि.
विला नं.–22 मारूति लाईफ स्टाईल
जिला– रायपुर, (छ0ग0)

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना के ए.एच.पी. घटक अंतर्गत निर्माणाधीन 1120 यूनिट में आवास निर्माण एवं बाह्य विकास कार्य पूर्ण करने अंतिम सूचना।

संदर्भ :–
1. कार्यादेश क्र. 76 दिनांक 05 / 05 / 2018 ।
2. पुनः कार्यादेश क्र. / न.नि. / 1049 भिलाई दिनांक 07.08.2023 ।
3. कार्यालय का पत्र क्र. / 9 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 02.04.2024 ।
4. कार्यालय का पत्र क्र. / 51 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 19.04.2024 ।
5. कार्यालय का पत्र क्र. / 137 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 20.05.2024 ।
6. कार्यालय का पत्र क्र. / 371 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 19.07.2024 ।
7. कार्यालय का पत्र क्र. / 595 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 12.09.2024 ।
8. कार्यालय का पत्र क्र. / 620 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 20.09.2024 ।
9. कार्यालय का पत्र क्र. / 725 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 14.11.2024 ।
10. कार्यालय का पत्र क्र. / 766 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 04.12.2024 ।
11. कार्यालय का पत्र क्र. / 792 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 13.12.2024 ।
12. कार्यालय का पत्र क्र. / 807 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 16.12.2024 ।
13. कार्यालय का पत्र क्र. / 852 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 31.12.2024 ।
14. कार्यालय का पत्र क्र. / 10 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 06.01.2025 ।
15. कार्यालय का पत्र क्र. / 78 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 04.02.2025 ।
16. कार्यालय का पत्र क्र. / 167 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 27.02.2025 ।
17. कार्यालय का पत्र क्र. / 290 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 07.04.2025 ।
18. कार्यालय का पत्र क्र. / 436 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 25.04.2025 ।
19. कार्यालय का पत्र क्र. / 523 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 05.05.2025 ।

———0———

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि दिनांक 23.04.2025 को सचिव महोदय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा आयोजित बैठक में ए.एच.पी. घटक अंतर्गत निर्माणाधीन 1120 यूनिट एएचपी घटक के आवास निर्माण एवं बाह्य विकास का कार्य के प्रगति के संबंध में आपके प्रतिनिधि आशीष नन्दीग्रामवार के माध्यम से आपको निर्देशित किया गया है कि आबंटित हो चुके 524 आवासों को दिनांक 31.05.2025 तक पूर्ण किया जाना है। जिसके तारतम्य में आयुक्त महोदय द्वारा हितग्राहियों को आबंटित हो चुके आवासों को दिनांक 31.05.2025 तक पूर्ण करने की शर्त पर आपको समयवृद्धि प्रदान किया गया। जिसमें निर्माण कार्य की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:–

1. पूर्व में प्रदत्त किये गये कार्यादेश अनुसार स्थल पर ले–आउट उपलब्ध कराकर कार्य प्रारंभ करने हेतु पत्र क्र. 978 दिनांक 06.08.2018 अनुसार पत्र प्रेषित किया गया। तत्पश्चात आपके द्वारा कार्य 03 माह विलंब करते हुए कार्य प्रारंभ किया गया था। इससे स्पष्ट है कि कार्य प्रारंभ करने में आपके द्वारा विलंब किया गया है न कि नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा।

क्रमशः..

2. समयवृद्धि हेतु आपके प्रस्तुत आवेदन तथा बारचार्ट अनुसार एवं अनुबंध में उल्लेखित शर्तों के अधीन आपको समय–समय पर समयवृद्धि प्रदान किया गया था किन्तु आपके द्वारा कोविड 19 के महामारी के बाद एवं तत्पश्चात निरंतर भुगतान के उपरांत भी आपके द्वारा बारचार्ट अनुसार कार्य नही करने के कारण तथा समय–समय पर निरंतर प्रेषित किये गये पत्राचार का पालन नहीं करने पर अनुबंध को समाप्त करते हुये इस कार्यालय के पत्र क्र./प्र.मं.आ.यो./न.पा.नि./945, भिलाई दिनांक 10.07.2023 के तहत् कार्यादेश निरस्त किया गया था। तद्उपरांत आपके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार करते हुये आपके द्वारा दिये गये बार–चार्ट अनुसार उक्त कार्य के लिये आपको पुनः कार्यादेश प्रदत्त किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि आपके द्वारा कार्य के प्रति निरंतर लापरवाही दिखाया गया है।

3. कोविड द्वितीय चरण के बाद शासन से निरंतर समय–समय पर राशि आंबटन किया गया है। अब तक आपके द्वारा किये गये 58% कार्य का भुगतान किया जा चुका है। किन्तु आपके द्वारा कार्य में रूची नहीं लिये जाने के कारण एवं लेबर मशीनरी कम रखे जाने से कुछ ही कार्य पूर्ण कराया गया है। जिससे आपके द्वारा शासन की महत्वकांक्षी योजना पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हुये शासन की निधि का अवरोध किया जा रहा है।

4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य शहरी विकास अधिकरण द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में आपके कार्य के प्रगति पर अत्यंत नराजगी जताते हुऐ आपके प्रतिनिधि के समक्ष पर्याप्त लेबर एवं मशीनरी के साथ सभी प्लिंथ स्तर के आवासों के छत पूर्ण कार्य एवं पूर्ण किश्त जमा किये सभी हितग्राहियों के आवास को दिनांक 31 मार्च 2025 तक पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये थे किन्तु दिनांक 01.02.2025 को लिए गये मीटिंग के बाद सतत् स्थल निरीक्षण के दौरान 1120 यूनिट आवास स्थल में पिछले 01 माह के पूर्व केवल 10–12 लेबर तथा विगत 01 माह से कोई भी लेबर एवं मशीनरी कार्य करते नही पाये गये है। जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा कार्य की प्रगति धीमीरत रखने एवं निर्देशो का पालन नहीं करने से शासन एवं निगम की छवि धूमील हो रही है जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी है।

5. पूर्व में आबंटित किये गये 524 हितग्राहियों में से पूर्ण किश्त जमा किये गये 219 हितग्राहियों के आवासों की सूची मोबाईल नं. सहित आपको उपलब्ध कराया गया। सचिव महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के परिपालन में पूर्ण किश्त जमा किये गये 219 हितग्राहियों मे से केवल 40 हितग्राहियों के आवास को आपके द्वारा आज दिनांक पूर्ण नहीं किया गया है, जिससे शेष 179 हितग्राही आवास से वंचित हो रहे है एवं आबंटित 524 में से 305 हितग्राही अपना पूर्ण किश्त की राशि जमा करने में भी रूचि नही दिखा रहे है। आपके इस कृत्य से केन्द्र एवं राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना में निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को समय पर आवास प्रदान किये जाने के लक्ष्य में नगर पालिक निगम, भिलाई एवं शासन की छवि धूमिल हो रही है। जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी है।

6. आपके 1120 यूनिट आवास निर्माण एवं बाह्य विकास कार्य में 420 आवास फिनिशिंग स्तर (ग्रिल विण्डो, दरवाजा, टाईल्स, बिजली पानी फिटिंग, पैनल, टैप कनेक्शन, किचन फिटिंग), 184 आवास स्ट्रक्चर एवं छत पूर्ण तथा 516 आवास फाउण्डेशन स्तर पर है।

7. सचिव महोदय द्वारा दी गई अवधि 31.05.2025 तक स्थिति में सभी आबंटित एवं पूर्ण किश्त जमा किये हितग्राहियों के आवासों को पूर्ण करने में केवल 15 दिवस ही शेष है। उपरोक्त सभी आवासों में निर्माण कार्य विगत 01 माह से पूर्णतः बंद स्थिति में है।

अतः पूर्व निर्धारित समयावधि दिनांक 31.05.2025 तक सभी आबंटित एवं पूर्ण किश्त जमा किये हितग्राहियों के आवासों को पूर्ण करना सुनिश्चित करने एवं शेष अन्य मकानों को दिनांक 31.08.2025 तक पूर्ण करने कार्य योजना 02 दिवस में प्रस्तुत करते हुए कार्य पूर्ण करें अन्यथा अनुबंध की कंडिका क्रमांक–1.15 अनुसार अनुबंध निरस्त करते हुए आपको काली सूची में दर्ज करने एवं धरोहर राशि, सुरक्षित राशि एवं शेष बचे कार्य की लागत का 10% राशि को राजसात करने की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी स्वयं की होगी।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पत्र क्र0/प्र.मं.आ.यो/न.नि./2025/385 भिलाई, दिनांक 15/5/2025

प्रतिलिपि :–

1. सचिव महोदय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,अटल नगर नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. संचालक महोदय, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,अटल नगर नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,राज्य शहरी विकास अभिकरण,अटल नगर नवा रायपुर, को सूचनार्थ।
4. अधीक्षण अभियंता, सह नोडल अधिकारी (प्र.मं.आ.यो.) नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
5. मेसर्स सावजानी, ए.एण्ड.ई. पी.एम.सी. कंसलटेंट राजकोट, गुजरात को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

(17)

कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई, जिला–दुर्ग
प्रधानमंत्री आवास योजना
E-mail:- pmay.bhilai@gmail.com

क्रमांक / प्र.मं.आ.यो. / 2018 / 76

भिलाई, दिनांक 05 / 05 / 2018

☆ कार्यादेश ☆

प्रति,

मे. चन्द्र निर्माण प्रा.लिमिटेड
विला न0 –22 मारूति लाईफ स्टाईल
रायपुर (छ0ग0)।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत 1120 नग बहुमंजिला मकान निर्माण, आंतरिक विद्युतीकरण एवं बाह्य विकास कार्य, मार्ग,नाली, सिवरेज़,जल–कार्य इत्यादि कार्य (बाह्य विद्युतीकरण को छोड़कर)।

संदर्भः– निविदा दिनांक 26.08.2017 स्वीकृत राशि रू0 5013.00 लाख (लम्प–सम) ।

~~~~~00~~~~~

उपरोक्त विषयांतर्गत सूचित किया जाता है, कि आप के द्वारा उक्त कार्य हेतु निविदा में दी गई निविदा दर राशि रू0 5013.00 लाख (लम्प–सम) की स्वीकृति मुख्य कार्यपालन अधिकारी,राज्य शहरी विकास अभिकरण नया रायपुर (छ.ग.) के पत्र कमांक 773 / 100 दिनांक 16.04.2018 द्वारा प्रदान की गई है, तथा आपके द्वारा संविदा की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है।

अतः कार्यादेश जारी तिथि से 18 माह के भीतर कार्य पूर्ण करें ।

संलग्नः– (आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

कार्यपालन अभियंता
प्रधानमंत्री आवास योजना
नगर पालिक निगम भिलाई

25-5-18

क्रमांक / प्र.मं.आ.यो. / 2018 / 77

भिलाई, दिनांक 05 / 05 / 2018

प्रतिलिपिः–

1. महापौर महोदय, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष महोदय, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
3. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
4. अधीक्षण अभियंता सह नोडल अधिकारी नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
5. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (योजना), राज्य शहरी विकास अभिकरण नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ ।
6. लेखाधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
7. प्रभारी सदस्य लोक निर्माण समिति, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ
8. वार्ड पार्षद, वार्ड क्र. – नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।

25/05/18

पावती

कार्यपालन अभियंता
प्रधानमंत्री आवास योजना
नगर पालिक निगम भिलाई
~~~~~

(५०७)

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई जिला–दुर्ग (छ.ग.)
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
मदर टेरेसा नगर, जोन क्रमांक–03 भिलाई
फोन नं. 0788–4032053, ई–मेल : pmay.bhilai@gmail.com

क्र0 / प्र.मं.आ.यो. / न.नि. / 2023 / 1049 भिलाई, दिनांक 07/ 8 /2023

प्रति,

मेसर्स चन्द्र निर्माण प्रा.लि.,
विला न. – 22 मारूति लाईफ स्टाईल
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 1120 नग ए.एच.पी. आवास निर्माण एवं बाह्य विकास कार्य के संबंध में।

संदर्भः– 1. कार्यादेश क्र.– 76 दिनांक 05.05.2018
2. कार्यालयीन पत्र क्र.–945, दिनांक 10.07.2023
3. आपका आवेदन दिनांक 27.07.2023

––00––

उपरोक्त संदर्भ एवं विषयान्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक भागीदारी में किफायती आवास (AHP) अंतर्गत 1120 यूनिट आवास निर्माण एवं बाह्य विकास कार्य का भुगतान किये जाने के पश्चात भी लंबे समय से बन्द रखने एवं पुनः कार्य प्रारंभ नहीं करने के कारण उक्त कार्य का अनुबंध समाप्त कर कार्यादेश निरस्त कर दिया गया था। जिसके परिपेक्ष्य में आपके द्वारा संदर्भित आवेदन द्वारा कार्य करने अनुरोध किया गया है। अतः आपके अनुरोध पर निरस्त किये गये संदर्भित कार्यादेश को निविदा उपरांत किये गये द्विपक्षीय अनुबंध के पालन करने एवं निम्नानुसार कार्य करने की शर्तों पर अस्थायी रूप से बहाल किया जाता हैः–

1. 1120 आवास में से छत तक पूर्ण 560 आवास को 31 अक्टूबर 2023 तक पूर्ण करना होगा इसके साथ ही सम्पूर्ण बाह्य विकास कार्य भी 31 अक्टूबर 2023 तक पूर्ण करना होगा।
2. शेष 560 अधूरे आवास को 31 मार्च 2024 तक पूर्ण किया जाना होगा।
3. अनुबंध के अतिरिक्त कोई मांग नगर पालिक निगम भिलाई से नहीं किया जावेगा और न ही अनुबंध के विपरीत कोई कार्य किया जावेगा।
4. अनुबंध के विपरीत अथवा उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने की स्थिति में अनुबंध के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जा सकेगी जिसके लिये एजेंसी स्वयं जवाबदार होगा।
5. उक्तानुसार समयबद्ध कार्य विवरण तालिका (Bar Chart) कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्तानुसार समयावधि में कार्य पूर्ण किये जाने पर कार्य के गुणदोष के आंकलन अनुसार समयावधि के दण्ड पर पृथक से विचार किया जावेगा।

Vyas.

(रोहित व्यास)
आई.ए.एस
आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

क्रमशः.....

पृ0क्र0/ /प्र.मं.आ.यो/न.पा.नि./2023 /1050
प्रतिलिपि :–

भिलाई, दिनांक 07/8/2023

1. विशेष सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ।
2. संचालक, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियंता, लोक कर्म विभाग, शंकर नगर रायपुर, को सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ।
5. अधीक्षण अभियंता सह नोडल अधिकारी (प्र0मं0आ0यो0), नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
6. सर्व विभाग प्रमुख, ... नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
7. जन सम्पर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
8. मेसर्स सावजानी ए एण्ड ई कन्सलटेन्ट को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई जिला–दुर्ग (छ.ग.)
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

क्र0 / प्र.मं.आ.यो. / न.नि. / 2024 / 09 भिलाई, दिनांक 02 / 4 / 2024

प्रति,

मेसर्स चन्द्र निर्माण प्रा.लि.,
विला न. – 22 गारूति लाईफ स्टाईल
रायपुर (छ.ग.)

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 1120 नग एएचपी आवास निर्माण एवं बाह्य विकास कार्य के धीमी प्रगति के संबंध में ।

संदर्भः– 1.कार्यादेश क. 76 दिनांक 05 / 05 / 18 ।
2. पुनः कार्यादेश क्र / न.नि. / 1049 भिलाई दिनांक 07.08.2023 ।

—000—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा ए.एच.पी. के 1120 नग आवास निर्माण एवं बाह्य विकास का कार्य 18 माह के समयावधि में पूर्ण करने हेतु कार्यादेश दिया गया था। कार्य प्रगति अत्यंत धीमी होने के कारण आपको प्रदत्त कार्यादेश एक बार निरस्त किया जा चुका है, जिसे आपके अनुरोध एवं आपके द्वारा प्रस्तुत बार–चार्ट के अनुरूप कार्य पूर्ण करने की शर्तो पर बहाल किया गया है, किन्तु आपके द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है। आज दिनांक तक 536 नग आवास निर्माण कार्य अभी भी प्लिंथ लेवल पर रूका हुआ है। कार्य को पूर्ण करने हेतु प्रदान की गई समयवृद्धि दिनांक 31.03.2024 को समाप्त हो गया है। कृपया 536 नग अपूर्ण आवासों के निर्माण के साथ सभी 1120 आवासों की फिनिशिंग एवं बाह्य विकास कार्य को पूर्ण करने हेतु बार–चार्ट 3 दिवस में प्रस्तुत करें, तथा यह भी सुनिश्चित करें की कार्य बार–चार्ट के अनुरूप संपादित किया जावेगा। इसके लिये लगाये जाने वाले मैन पॉवर की जानकारी प्रतिदिन विभाग को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

2/4/24

अधीक्षण अभियंता
प्र.मं.आ.यो.(शहरी)
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ0क्र0 / / प्र.मं.आ.यो / न.पा.नि. / 2024 भिलाई, दिनांक / / 2024

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
2. कार्यपालन अभियंता (प्र0मं0आ0यो0), नगर पालिक निगम भिलाई को पालनार्थ।
3. मेसर्स सावजानी ए एण्ड ई कन्सलटेन्ट को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

- Sd -

अधीक्षण अभियंता
प्र.मं.आ.यो.(शहरी)
नगर पालिक निगम
भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई जिला–दुर्ग(छ.ग.)
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

क्र0 / प्र.मं.आ.यो. / न.नि. / 2024 / 51 भिलाई, दिनांक 17/4 /2024

प्रति,

मेसर्स चन्द्र निर्माण प्रा.लि.,
विला न. – 22 मारूति लाईफ स्टाईल
रायपुर (छ.ग.)

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 1120 नग एएचपी आवास निर्माण एवं बाह्य विकास कार्य के धीमी प्रगति के संबंध में ।

संदर्भः– 1.कार्यादेश क. 76 दिनांक 05/05/18 ।
2. पुनः कार्यादेश क्र / न.नि. / 1049 भिलाई दिनांक 07.08.2023 ।

---000---

विषयांतर्गत लेख है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत एएचपी घटक के 1120 नग आवास निर्माण एवं बाह्य विकास का कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। जिसमें 560 नग आवास का छत निर्माण का कार्य पूर्व में ही पूर्ण किया जा चुका है। किन्तु दिनांक 31.03.2024 तक दिये गये समयवृद्धि एवं आपके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत बार–चार्ट अनुसार उक्त 560 आवासों का फिनिशिंग एवं बाह्य विकास का कार्य पूर्ण कर लिया जाना था किन्तु आज दिनांक तक आपके द्वारा उक्त 560 आवास पूर्ण नहीं किया गया है, जो किं अत्यंत खेदजनक है। पूर्व में कार्यालयीन पत्र के माध्यम से निर्माण कार्य की धीमी गति के संबंध में समय–समय पर आपको सूचित किया गया था।

वर्तमान मे उक्त सभी कार्य आपके द्वारा समयसीमा में पूर्ण नही किये जाने के कारण पुनः बार–चार्ट प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार 440 आवासों के फिनिशिंग एवं बाह्य विकास कार्य 30 अप्रैल 2024 तक पूर्ण किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है किन्तु बार–चार्ट प्रस्तुत करने के उपरांत समय–समय पर स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें मैन पावर, समाग्री एवं मशीनरी पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के कारण कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी होना पाया गया। जिससे निर्माण कार्य के प्रति आपका उदासीनता प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्तानुसार आपको सूचित किया जाता है कि 3 दिवस के भीतर स्थल पर पर्याप्त मैन पावर,समाग्री एवं मशीनरी उपलब्ध कराया जाकर बार–चार्ट अनुसार कार्य पूर्ण करना सुनिश्चि करें अन्यथा अनुबंध की कंडिका क्र. 1.14 एवं 1.15 अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी आपकी स्वयं की होगी।

कार्यपालन अभियंता
प्र.मं.आ.यो.(शहरी)
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ0क्र0 / / प्र.मं.आ.यो / न.पा.नि. / 2024 भिलाई, दिनांक / /2024

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, अटल नगर नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता, प्र.मं.आ.यो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ।
4. मेसर्स सावजानी ए एण्ड ई कन्सलटेन्ट को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
प्र.मं.आ.यो.(शहरी)
नगर पालिक निगम
भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई जिला–दुर्ग (छ.ग.)
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

क्र0 / प्र.मं.आ.यो. / न.नि. / 2024 / 137 भिलाई, दिनांक 20 / 5 / 2024

स्मरण पत्र

प्रति,

मेसर्स चन्द्र निर्माण प्रा.लि.,
विला न. – 22 मारूति लाईफ स्टाईल
रायपुर (छ.ग.)

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 1120 नग एएचपी आवास निर्माण एवं बाह्य विकास कार्य के धीमी प्रगति के संबंध में ।

संदर्भः– 1.कार्यादेश क. 76 दिनांक 05/05/18 ।
2. पुनः कार्यादेश क्र/न.नि./1049 भिलाई दिनांक 07.08.2023 ।
3. कार्यालय का पत्र क्र./51/न.पा.नि./भिलाई दिनांक 19.04.2024 ।

--000--

विषयांतर्गत लेख है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत एएचपी घटक के 1120 नग आवास निर्माण एवं बाह्य विकास का कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। जिसमें 560 नग आवास का छत निर्माण का कार्य पूर्व में ही पूर्ण किया जा चुका है। किन्तु दिनांक 31.03.2024 तक दिये गये समयवृद्धि एवं आपके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत बार–चार्ट अनुसार उक्त 560 आवासों का फिनिशिंग एवं बाह्य विकास का कार्य पूर्ण कर लिया जाना था किन्तु आज दिनांक तक आपके द्वारा उक्त 560 आवास पूर्ण नहीं किया गया है, जो कि अत्यंत खेदजनक है। पूर्व में कार्यालयीन पत्र के माध्यम से निर्माण कार्य की धीमी गति के संबंध में समय–समय पर आपको सूचित किया गया था।

वर्तमान मे उक्त सभी कार्य आपके द्वारा समयसीमा में पूर्ण नही किये जाने के कारण पुनः बार–चार्ट प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार 440 आवासों के फिनिशिंग एवं बाह्य विकास कार्य 30 अप्रैल 2024 तक पूर्ण किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है किन्तु बार–चार्ट प्रस्तुत करने के उपरांत समय–समय पर स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें मैन पावर, समाग्री एवं मशीनरी पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के कारण कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी होना पाया गया। जिससे निर्माण कार्य के प्रति आपका उदासीनता प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्तानुसार आपको सूचित किया जाता है कि 3 दिवस के भीतर स्थल पर पर्याप्त मैन पावर,समाग्री एवं मशीनरी उपलब्ध कराया जाकर बार–चार्ट अनुसार कार्य पूर्ण करना सुनिश्चि करें अन्यथा अनुबंध की कंडिका क्र. 1.14 एवं 1.15 अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी आपकी स्वयं की होगी।

कार्यपालन अभियंता
प्र.मं.आ.यो.(शहरी)
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ0क्र0 / /प्र.मं.आ.यो/न.पा.नि./2024 138 भिलाई, दिनांक 20/5/2024

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, अटल नगर नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता, प्र.मं.आ.यो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ।
4. मेसर्स सावजानी ए एण्ड ई कन्सलटेन्ट को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
प्र.मं.आ.यो.(शहरी)
नगर पालिक निगम
भिलाई

20/5/24

(609)

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई जिला–दुर्ग(छ.ग.)
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

क्र0 / प्र.मं.आ.यो. / न.नि. / 2024 / 371   भिलाई, दिनांक 17 / 7 / 2024

प्रति,

मेसर्स चन्द्र निर्माण प्रा.लि.,
विला न. – 22 मारूति लाईफ स्टाईल
रायपुर (छ.ग.)

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 1120 नग एएचपी आवास निर्माण एवं बाह्य विकास कार्य के धीमी प्रगति के संबंध में ।

संदर्भः–
1. कार्यादेश क. 76 दिनांक 05 / 05 / 18 ।
2. पुनः कार्यादेश क्र / न.नि. / 1049 भिलाई दिनांक 07.08.2023 ।
3. कार्यालय का पत्र क्र. / 225 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 10.06.2024 ।
4. कार्यालय का पत्र क्र. / 313 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 08.07.2024 ।

---000---

विषयांतर्गत लेख है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत एएचपी घटक के 1120 नग आवास निर्माण एवं बाह्य विकास का कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य अंतर्गत 560 नग आवास का छत निर्माण का कार्य पूर्व में ही पूर्ण किया जा चुका है। आपके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत बार–चार्ट अनुसार उक्त 560 आवासों का फिनिशिंग एवं बाह्य विकास का कार्य पूर्ण कर लिया जाना था किन्तु आज दिनांक तक आपके द्वारा उक्त 560 आवास पूर्ण नहीं किया गया है, जो कि अत्यंत खेदजनक है। पूर्व में कार्यालयीन पत्र के माध्यम से निर्माण कार्य की धीमी गति के संबंध में समय–समय पर आपको सूचित किया गया था।

वर्तमान मे उक्त सभी कार्य आपके द्वारा समयसीमा में पूर्ण नही किये जाने के कारण पुनः बार–चार्ट प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार 440 आवासों के फिनिशिंग एवं बाह्य विकास कार्य अप्रैल 2024 तक पूर्ण किया जाना था, किन्तु कोई भी आवास का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। निर्माण स्थल में मैन पावर, समाग्री एवं मशीनरी पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के कारण कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी होना पाया गया, इससे निर्माण कार्य के प्रति आपका उदासीनता प्रतीत होता है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि 1120 आवास निर्माण एवं बाह्य विकास के सभी कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कर अवगत करायें अन्यथा अनुबंध की कंडिका क्र. 1.14 एवं 1.15 अनुसार आावश्यक कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी आपकी स्वयं की होगी।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ0क्र0 / 372 / प्र.मं.आ.यो / न.पा.नि. / 2024   भिलाई, दिनांक 17 / 7 / 2024

प्रतिलिपि :–

1. अधीक्षण अभियंता, प्र.मं.आ.यो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. मेसर्स सावजानी ए एण्ड ई कन्सलटेन्ट को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

625

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई जिला–दुर्ग (छ.ग.)
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

क्र0 / प्र.मं.आ.यो. / न.नि. / 2024 / 595 भिलाई, दिनांक 12/9 /2024

प्रति,

मेसर्स चन्द्र निर्माण प्रा.लि.,
विला न. – 22 मारूति लाईफ स्टाईल
रायपुर (छ.ग.)

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 1120 नग एएचपी आवास निर्माण एवं बाह्य विकास कार्य के धीमी प्रगति के संबंध में ।

संदर्भः– 1.कार्यादेश क. 76 दिनांक 05/05/18 ।
2. पुनः कार्यादेश क्र / न.नि. / 1049 भिलाई दिनांक 07.08.2023।
3. कार्यालय का पत्र क्र. / 225 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 10.06.2024।
4. कार्यालय का पत्र क्र. / 313 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 08.07.2024।
5. कार्यालय का पत्र क्र. / 371 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 19.07.2024।

000

विषयांतर्गत लेख है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत एएचपी घटक के 1120 नग आवास निर्माण एवं बाह्य विकास का कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य अंतर्गत 560 नग आवास का छत निर्माण का कार्य पूर्व में ही पूर्ण किया जा चुका है। आपके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत बार–चार्ट अनुसार उक्त 560 आवासों का फिनिशिंग एवं बाह्य विकास का कार्य अप्रैल 2024 तक पूर्ण कर लिया जाना था किन्तु आज दिनांक तक आपके द्वारा उक्त 560 आवास पूर्ण नहीं किया गया है, जो कि अत्यंत खेदजनक है। पूर्व में कार्यालयीन पत्र के माध्यम से निर्माण कार्य की धीमी गति के संबंध में समय–समय पर आपको सूचित किया गया था।

वर्तमान मे उक्त सभी कार्य आपके द्वारा समयसीमा में पूर्ण नही किये जाने के कारण पुनः बार–चार्ट प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार 440 आवासों के फिनिशिंग एवं बाह्य विकास कार्य सितम्बर 2024 तक पूर्ण किया जाना है, किन्तु कोई भी आवास का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। निर्माण स्थल में मैन पावर, समाग्री एवं मशीनरी पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के कारण कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी होना पाया गया, इससे निर्माण कार्य के प्रति आपका उदासीनता प्रतीत होता है। वर्तमान में आपको दिनांक 31.12.2024 तक कार्य पूर्ण करने हेतु समयवृद्धि प्रदान की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि 1120 आवास निर्माण एवं बाह्य विकास के सभी कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कर अवगत करायें ताकि हितग्राहियों को जल्द से जल्द व्यवस्थापन किया जा सकें अन्यथा अनुबंध की कंडिका क्र. 1.14 एवं 1.15 अनुसार आावश्यक कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी आपकी स्वयं की होगी।

कार्यपालन अभियंता
प्र.मं.आ.यो.
नगर पालिक निगम,भिलाई

पृ0क्र0 / / प्र.मं.आ.यो / न.पा.नि. / 2024 भिलाई, दिनांक / /2024

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
2. अधीक्षण अभियंता, प्र.मं.आ.यो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ।
3. मेसर्स सावजानी ए एण्ड ई कन्सलटेन्ट को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
प्र.मं.आ.यो.
नगर पालिक निगम,भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई जिला–दुर्ग (छ.ग.)
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

पत्र क0/ 627 /प्र.मं.आ.यो/न.पा.नि./2024 620 भिलाई, दिनांक 20/9/2024
प्रति,

मेसर्स चन्द्र निर्गाण प्रा.लि.
विला नं.–22 मारूति लाईफ स्टाईल
जिला– रायपुर, (छ0ग0)

विषयः– **प्रधानमंत्री आवास योजना के ए.एच.पी. घटक अंतर्गत निर्माणाधीन 1120 यूनिट में आवास निर्माण एवं बाह्य विकास कार्य के संबंध में।**

संदर्भः–
1. कार्यादेश क्र. 76 दिनांक 05/05/2018 ।
2. पुनः कार्यादेश क्र./न.नि./1047 भिलाई दिनांक 07.08.2023।
3. कार्यालय का पत्र क्र./371/प्र.मं.आ.यो./2024 भिलाई दिनांक 19.07.2024।
4. कार्यालय का पत्र क्र./579/प्र.मं.आ.यो./2024 भिलाई दिनांक 09.09.2024।

000

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 1120 यूनिट एएचपी घटक के आवास निर्माण एवं बाह्य विकास का कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य अंतर्गत 560 नग आवास का छत निर्माण का कार्य पूर्व में ही पूर्ण किया जा चुका है। आपके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत बार–चार्ट अनुसार उक्त 560 आवासों का फिनिशिंग एवं बाह्य विकास का कार्य अप्रैल 2024 तक पूर्ण कर लिया जाना था किन्तु आज दिनांक तक आपके द्वारा उक्त 560 आवास पूर्ण नहीं किया गया है, जो कि अत्यंत खेदजनक है। पूर्व में कार्यालयीन पत्र के माध्यम से निर्माण कार्य की धीमी गति के संबंध में समय–समय पर आपको सूचित जाता रहा है।

वर्तमान मे उक्त सभी कार्य आपके द्वारा समयसीमा में पूर्ण नही किये जाने के कारण पुनः बार–चार्ट प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार 560 आवासों के फिनिशिंग एवं बाह्य विकास कार्य सितम्बर 2024 तक पूर्ण किया जाना है, किन्तु कोई भी आवास का कार्य पूर्ण होता नहीं दिख रहा है। निर्माण स्थल में मैन पावर, समाग्री एवं मशीनरी पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के कारण कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी होना पाया गया, आपको आबंटित आवासों की सूची उपलब्ध कराकर प्राथमिकता के आधार पर उन आवासों को पूर्ण करना था जिसका पालन भी आपके द्वारा नहीं किया जा रहा है। इससे निर्माण कार्य के प्रति आपका उदासीनता के कारण हितग्राहियों के आवास आबंटन में अनावश्यक विलंब हो रहा है। वर्तमान में आपको दिनांक 31.12.2024 तक कार्य पूर्ण करने हेतु समयवृद्धि प्रदान की गई है। समयवृद्धि प्रदान करने के उपरांत भी आज दिनांक तक स्थल पर निम्नानुसार कार्य अपूर्ण हैः–

- उक्त 560 आवासों में टाइल्स लगाने का कार्य शेष है।
- 560 आवासों में पेयजल हेतु पाइप लाइन कार्य शेष है।
- 560 आवासों हेतु सेप्टिंक टैंक निर्माण कार्य शेष है।
- निर्मित सभी आवासों में खिड़की, दरवाजा तथा बालकनी में रैन वाटर पाइप लाइन का कार्य शेष है।

अतः उपरोक्तानुसार आवास निर्माण एवं बाह्य विकास के सभी कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कर अवगत करायें ताकि हितग्राहियों को जल्द से जल्द व्यवस्थापन किया जा सकें।

कार्यपालन अभियंता
प्र.मं.आ.यो.(शहरी)
नगर पालिक निगम,भिलाई

पृ0क्र0/ 621 /प्र.मं.आ.यो/न.पा.नि./2024 भिलाई, दिनांक 20/9/20

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
2. अधीक्षण अभियंता, प्र.मं.आ.यो. नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
3. पी.एम.सी. एजेंसी सावजानी ए.एण्ड.ई. राजकोट, गुजरात को सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
प्र.मं.आ.यो.(शहरी)
नगर पालिक निगम,भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई जिला–दुर्ग(छ.ग.)
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

पत्र क0/925/प्र.मं.आ.यो/न.पा.नि./2024 भिलाई, दिनांक 14/11/2024

प्रति,

मेसर्स चन्द्र निर्माण प्रा.लि.
विला नं.–22 मारूति लाईफ स्टाईल
जिला– रायपुर, (छ0ग0)

विषयः– **प्रधानमंत्री आवास योजना के ए.एच.पी. घटक अंतर्गत निर्माणाधीन 1120 यूनिट में आवास निर्माण एवं बाह्य विकास कार्य के संबंध में।**

संदर्भः–
1. कार्यादेश क्र. 76 दिनांक 05/05/2018 ।
2. पुनः कार्यादेश क्र./न.नि./1047 भिलाई दिनांक 07.08.2023 ।
3. कार्यालय का पत्र क्र./371/प्र.मं.आ.यो./2024 भिलाई दिनांक 19.07.2024 ।
4. कार्यालय का पत्र क्र./579/प्र.मं.आ.यो./2024 भिलाई दिनांक 09.09.2024 ।
5. कार्यालय का पत्र क्र./620/प्र.मं.आ.यो./2024 भिलाई दिनांक 20.09.2024 ।

000

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 1120 यूनिट एएचपी घटक के आवास निर्माण एवं बाह्य विकास का कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। स्थल निरीक्षण के दौरान कार्य की प्रगति अत्यंत धीमा पाया गया है, जो कि अत्यंत खेदजनक है। पूर्व में कार्यालयीन पत्र के माध्यम से निर्माण कार्य की धीमी गति एवं समयसीमा में कार्य को पूर्ण करने के संबंध में समय–समय पर आपको सूचित किया गया था। किन्तु कार्यवाही आज दिनांक तक आपेक्षित है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

1. कुल 1120 यूनिट आवास में से 584 नग आवास का छत निर्माण का कार्य पूर्व में ही आपके द्वारा पूर्ण किया जा चुका है। आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये बार–चार्ट अनुसार उक्त 584 आवासों का सभी कार्य (फिनिशिंग एवं बाह्य विकास) पूर्ण कर नगर पालिक निगम, भिलाई को हैण्डओवर दिया जाना था। किन्तु आज दिनांक तक आपके द्वारा उक्त 584 आवास को पूर्ण नहीं किया गया है। आपके द्वारा नगर निगम, भिलाई को उक्त 584 आवास हैण्डओवर नहीं दिये जाने के कारण हितग्राहियों को व्यवस्थापित करने का कार्य प्रभावित हो रहा है।
2. शेष 1120 यूनिट के 536 आवास जिनका छत निर्माण कार्य शेष है, जिसमें आपके प्रस्तुत बार चार्ट अनुसार दिसम्बर 2024 तक पूर्ण कर लिया जाना है, किन्तु वर्तमान में निर्माण स्थल में मैन पावर, समाग्री एवं मशीनरी पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के कारण कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी होना पाया गया।

अतः उपरोक्तानुसार 1120 यूनिट आवास निर्माण एवं बाह्य विकास के सभी कार्य प्रस्तुत बार–चार्ट के अनुसार समयसीमा में पूर्ण कर अवगत करायें ताकि हितग्राहियों को जल्द से जल्द व्यवस्थापन किया जा सकें अन्यथा कंडिका 1.14 एवं 1.15 अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी स्वयं की होगी।

कार्यपालन अभियंता
प्र.मं.आ.यो.(शहरी)
नगर पालिक निगम,भिलाई

पृ0क्र0/ /प्र.मं.आ.यो/न.पा.नि./2024 भिलाई, दिनांक / /2024

प्रतिलिपि :–
1. आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
2. अधीक्षण अभियंता, प्र.मं.आ.यो. नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
3. पी.एम.सी. एजेंसी सावजानी ए.एण्ड.ई. राजकोट, गुजरात को सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
प्र.मं.आ.यो.(शहरी)
नगर पालिक निगम,भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई जिला–दुर्ग (छ.ग.)
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

727

क्र0/प्र.मं.आ.यो./न.नि./2024/766 भिलाई, दिनांक 04/12/2024

प्रति,

मेसर्स चन्द्र निर्माण प्रा.लि.
विला नं.–22 मारूति लाईफ स्टाईल
जिला– रायपुर, (छ0ग0)

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना के ए.एच.पी. घटक अंतर्गत निर्माणाधीन 1120 यूनिट में आवास निर्माण एवं बाह्य विकास कार्य के संबंध में।

संदर्भः–
1. कार्यादेश क्र. 76 दिनांक 05/05/2018 ।
2. पुनः कार्यादेश क्र./न.नि./1047 भिलाई दिनांक 07.08.2023।
3. कार्यालय का पत्र क्र./371/प्र.मं.आ.यो./2024 भिलाई दिनांक 19.07.2024।
4. कार्यालय का पत्र क्र./579/प्र.मं.आ.यो./2024 भिलाई दिनांक 09.09.2024।
5. कार्यालय का पत्र क्र./620/प्र.मं.आ.यो./2024 भिलाई दिनांक 20.09.2024।
6. कार्यालय का पत्र क्र./725/प्र.मं.आ.यो./2024 भिलाई दिनांक 14.11.2024।

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 1120 यूनिट एएचपी घटक के आवास निर्माण एवं बाह्य विकास का कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। पूर्व में आपके द्वारा कार्य नहीं किये जाने के कारण आपका कार्यादेश कार्यालय के पत्र क्र./प्र.मं.आ.यो./न.पा.नि./945, भिलाई दिनांक 10.07.2023 को निरस्त किया गया था। किन्तु आपके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन तथा बार–चार्ट अनुसार कार्य करने के निवेदन पर आपको पुनः कार्यादेश जारी किया गया है, किन्तु आपके द्वारा न ही बार चार्ट का पालन किया जा रहा है और न ही अभ्यावेदन का। दिनांक 29.11.2024 को स्थल निरीक्षण के दौरान आपके द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यो में निम्नलिखित कमियाँ पाई गयी हैः–

1. निर्माण स्थल में मैन पावर, समाग्री एवं मशीनरी पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के कारण कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी होना पाया गया।
2. कुल 560 छत निर्मित आवासों में आबंटित आवासों मे से जिन हितग्राहियों द्वारा पूर्ण रूप से किश्त की राशि जमा कर दिया गया है, उन सभी हितग्राहियों के आवासों को आज दिनांक तक पूर्ण कर हितग्राहियों को व्यवस्थापन हेतु नगर पालिक निगम, भिलाई को हस्तांतरण कर दिया जाना था, किन्तु आज दिनांक तक कार्य अपूर्ण पाया गया है। जो आपके कार्य के प्रति उदासीनता को दर्शाता है।
3. 392 आवास जो फिनिशिंग स्तर पर है, उनमें विंडो ग्लास, ग्रील, बीब–कॉक , किचन बेसिन, बाथरूम दरवाजा तथा बिजली का कार्य अपूर्ण पाया गया है।

पूर्व में संदर्भित कार्यालीन पत्रों के माध्यम निर्माण कार्य की धीमी प्रगति एवं समय–सीमा में कार्य को पूर्ण करने के संबंध में समय–समय पर आपको सूचित किया गया है। उसके उपरांत भी आपके द्वारा कार्य को समय–सीमा में पूर्ण किये जाने के लिये अपेक्षित प्रगति से कार्य नहीं किया जा रहा है। आपके अति धीमी गति से निर्माण करने के कारण कमजोर आय वर्ग के नागरिकों को सर्व सुविधा युक्त सस्ता मकान उपलब्ध करने संबंधी शासन की अति महत्वाकांक्षी योजना का आबंटन करने में विलंब हो रहा है। जिससे आपके कारण निगम एवं शासन की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

अतः उपरोक्तानुसार 1120 यूनिट आवास निर्माण एवं बाह्य विकास के सभी कार्य प्रस्तुत बार–चार्ट के अनुसार समयसीमा में पूर्ण कर अवगत करायें अन्यथा अनुबंध अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी स्वयं की होगी।

आयुक्त
नगर पालिक निगम,
भिलाई

क्रमशः

पृ0क्र0 /   / प्र.मं.आ.यो / न.पा.नि. / 2024 767   भिलाई, दिनांक 04 / 12 / 2024

प्रतिलिपि :– 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, अटल नगर नवा रायपुर, को सूचनार्थ।

2. अधीक्षण अभियंता, प्र.मं.आ.यो. नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम,
भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई जिला–दुर्ग (छ.ग.)
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

क्र0 / प्र.मं.आ.यो. / न.नि. / 2024 / 792 भिलाई, दिनांक 13 / 12 / 2024

प्रति,

मेसर्स चन्द्र निर्माण प्रा.लि.
विला नं.–22 मारूति लाईफ स्टाईल
जिला– रायपुर, (छ0ग0)

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना के ए.एच.पी. घटक अंतर्गत निर्माणाधीन 1120 यूनिट में आवास निर्माण एवं बाह्य विकास कार्य के संबंध में।

संदर्भः–
1. कार्यादेश क्र. 76 दिनांक 05 / 05 / 2018 ।
2. पुनः कार्यादेश क्र. / न.नि. / 1047 भिलाई दिनांक 07.08.2023 ।
3. कार्यालय का पत्र क्र. / 620 / प्र.मं.आ.यो. / 2024 भिलाई दिनांक 20.09.2024 ।
4. कार्यालय का पत्र क्र. / 725 / प्र.मं.आ.यो. / 2024 भिलाई दिनांक 14.11.2024 ।
5. कार्यालय का पत्र क्र. / 766 / प्र.मं.आ.यो. / 2024 भिलाई दिनांक 04.12.2024 ।

000

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 1120 यूनिट एएचपी घटक के आवास निर्माण एवं बाह्य विकास का कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। पूर्व में आपके द्वारा कार्य नहीं किये जाने के कारण आपका कार्यादेश इस कार्यालय के पत्र क्र. / प्र.मं.आ.यो. / न.पा.नि. / 945, भिलाई दिनांक 10.07.2023 के तहत् निरस्त किया गया था। किन्तु आपके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन तथा बार–चार्ट अनुसार आपको पुनः कार्यादेश प्रदत्त किया गया है। परन्तु आपके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं समयबद्ध कार्ययोजना (बार–चार्ट) के अनुसार छत पूर्ण 560 आवासों को 31.10.2023 तक पूर्ण तथा शेष 560 आवासों को 31.03.2024 तक पूर्ण किया जाना था। उपरोक्त कार्य पूर्ण करने हेतु आपको दिनांक 31.12.2024 तक समयवृद्धि प्रदान की गई है। दिनांक 29.11.2024 को स्थल निरीक्षण के दौरान आपके द्वारा किये जा रहे 392 नग आवास निर्माण कार्यो को पूर्ण कर दिनांक 10.12.2024 तक किया जाना था, किन्तु दिनांक 10.12.2024 को स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें आपके द्वारा कार्य के लिये लगाये गये मेन पावर एवं संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा प्रस्तुत बार–चार्ट के अनुसार कार्य पूर्ण नही किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार आपको सूचित किया जाता है कि सभी 03 दिवस से भीतर प्रगतिरत कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें अन्यथा अनुबंध के शर्तो के अनुरूप कंडिका 1.14 एवं 1.15 अनुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी स्वयं की होगी।

आयुक्त
नगर पालिक निगम,
भिलाई

पृ0क्र0 / 793 / प्र.मं.आ.यो / न.पा.नि. / 2024 भिलाई, दिनांक 13 / 12 / 2024

प्रतिलिपि :– 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, अटल नगर नवा रायपुर, को सादर सूचनार्थ।
2. अधीक्षण अभियंता, प्र.मं.आ.यो. नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम,
भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई जिला–दुर्ग (छ.ग.)
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

क्र0 / प्र.मं.आ.यो. / न.नि. / 2024 / 807 भिलाई, दिनांक 16 / 12 / 2024

अंतिम नोटिस

प्रति,

मेसर्स चन्द्र निर्माण प्रा.लि.
विला नं.–22 मारूति लाईफ स्टाईल
जिला– रायपुर, (छ0ग0)

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना के ए.एच.पी. घटक अंतर्गत निर्माणाधीन 1120 यूनिट में आवास निर्माण एवं बाह्य विकारा कार्य के संबंध में।

संदर्भः– 1.कार्यादेश क्र. 76 दिनांक 05 / 05 / 2018 ।
2. पुनः कार्यादेश क्र. / न.नि. / 1047 भिलाई दिनांक 07.08.2023 ।
3. कार्यालय का पत्र क्र. / 620 / प्र.मं.आ.यो. / 2024 भिलाई दिनांक 20.09.2024 ।
4. कार्यालय का पत्र क्र. / 725 / प्र.मं.आ.यो. / 2024 भिलाई दिनांक 14.11.2024 ।
5. कार्यालय का पत्र क्र. / 766 / प्र.मं.आ.यो. / 2024 भिलाई दिनांक 04.12.2024 ।
6. कार्यालय का पत्र क्र. / 792 / प्र.मं.आ.यो. / 2024 भिलाई दिनांक 13.12.2024 ।

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 1120 यूनिट एएचपी घटक के आवास निर्माण एवं बाह्य विकास का कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। पूर्व में आपके द्वारा कार्य नहीं किये जाने के कारण आपका कार्यादेश इस कार्यालय के पत्र क्र. / प्र.मं.आ.यो. / न.पा.नि. / 945, भिलाई दिनांक 10.07.2023 के तहत् निरस्त किया गया था। किन्तु आपके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन तथा बार–चार्ट अनुसार आपको पुनः कार्यादेश प्रदत्त किया गया है। परन्तु आपके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं समयबद्ध कार्ययोजना (बार–चार्ट) के अनुसार छत पूर्ण 560 आवासों को 31.10.2023 तक पूर्ण तथा शेष 560 आवासों को 31.03.2024 तक पूर्ण किया जाना था। उपरोक्त कार्य पूर्ण करने हेतु आपको दिनांक 31.12.2024 तक समयवृद्धि प्रदान की गई है। संदर्भित पत्र के माध्यम से आपको आपके मेन पावर एवं संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं होने तथा बार–चार्ट के अनुरूप कार्य नही होने के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है। किन्तु आज दिनांक तक आपके द्वारा कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं न ही दिये गये निर्देशों का पालन किया जा रहा है। आपके इस कृत्य से शासन के इस महत्वपूर्ण योजना के प्रति उदासीनता को दर्शाता है।

अतः क्यों न आपके इस कृत्य के लिये प्रदत्त कार्यादेश को निरस्त किया जावें। उपरोक्तानुसार 03 दिवस के भीतर अपना समाधान कारक जवाब प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में निविदा के अनुबंध शर्तो के अनुरूप कार्य को निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी जवाबदारी आपकी स्वयं की होगी।

आयुक्त
नगर पालिक निगम,
भिलाई

पृ0क्र0 / 808 / प्र.मं.आ.यो / न.पा.नि. / 2024 भिलाई, दिनांक 16 / 12 / 2024

प्रतिलिपि :– 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, अटल नगर नवा रायपुर, को सूचनार्थ।
2. अधीक्षण अभियंता, प्र.मं.आ.यो. नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम,
भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई जिला–दुर्ग(छ.ग.)
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

749

क्र0 / प्र.मं.आ.यो. / न.नि. / 2024 / 852 भिलाई, दिनांक 31 / 12 / 2024

प्रति,

मेसर्स चन्द्र निर्माण प्रा.लि.
विला नं.–22 मारूति लाईफ स्टाईल
जिला– रायपुर, (छ0ग0)

विषयः– **प्रधानमंत्री आवास योजना के ए.एच.पी. घटक अंतर्गत निर्माणाधीन 1120 यूनिट में आवास निर्माण एवं बाह्य विकास कार्य के संबंध में।**

संदर्भः–
1. कार्यादेश क्र. 76 दिनांक 05 / 05 / 2018 ।
2. पुनः कार्यादेश क्र. / न.नि. / 1047 भिलाई दिनांक 07.08.2023 ।
3. कार्यालय का पत्र क्र. / 725 / प्र.मं.आ.यो. / 2024 भिलाई दिनांक 14.11.2024 ।
4. कार्यालय का पत्र क्र. / 766 / प्र.मं.आ.यो. / 2024 भिलाई दिनांक 04.12.2024 ।
5. कार्यालय का पत्र क्र. / 792 / प्र.मं.आ.यो. / 2024 भिलाई दिनांक 13.12.2024 ।
6. कार्यालय का पत्र क्र. / 807 / प्र.मं.आ.यो. / 2024 भिलाई दिनांक 16.12.2024 ।

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 1120 यूनिट एएचपी घटक के आवास निर्माण एवं बाह्य विकास का कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। पूर्व में आपके द्वारा कार्य नहीं किये जाने के कारण आपका कार्यादेश इस कार्यालय के पत्र क्र. / प्र.मं.आ.यो. / न.पा.नि. / 945, भिलाई दिनांक 10.07.2023 के तहत् निरस्त किया गया था। किन्तु आपके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन तथा बार–चार्ट अनुसार आपको पुनः कार्यादेश प्रदत्त किया गया है। परन्तु आपके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं समयबद्ध कार्ययोजना (बार–चार्ट) के अनुसार छत पूर्ण 560 आवासों को 31.10.2023 तक पूर्ण तथा शेष 560 आवासों को 31.03.2024 तक पूर्ण किया जाना था। उपरोक्त कार्य पूर्ण करने हेतु आपको दिनांक 31.12.2024 तक समयवृद्धि प्रदान की गई है।

1120 यूनिट के पूर्ण किश्त जमा किये गये 179 हितग्राहियों जिसकी सूची आपको पूर्व में उपलब्ध कराया गया था, उन हितग्राहियों के आवासों को पूर्ण करके व्यवस्थापित करने हेतु आपकों आदेशित किया गया था, परन्तु मेन पावर एवं संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं होने तथा बार–चार्ट के अनुरूप कार्य नही होने के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है। किन्तु आज दिनांक तक आपके द्वारा कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं न ही दिये गये निर्देशों का पालन किया जा रहा है। आपके इस कृत्य से शासन के इस महत्वपूर्ण योजना के प्रति उदासीनता को दर्शाता है।

अतः उपरोक्तानुसार आवास पूर्ण कर 03 दिवस के भीतर पूर्ण किश्त जमा किये गये हितग्राहियों को व्यवस्थापित करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में निविदा के अनुबंध शर्तो के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी, जिसकी जवाबदारी आपकी स्वयं की होगी।

संलग्नः– पूर्व में उपलब्ध कराये गये 179 हितग्राहियों की सूची।

कार्यपालन अभियंता
प्र.मं.आ.यो.
नगर पालिक निगम,भिलाई

पृ0क्र0 / / प्र.मं.आ.यो / न.पा.नि. / 2024 853 **भिलाई, दिनांक** 31 / 12 / **2024**

प्रतिलिपि :–
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, अटल नगर नवा रायपुर, को सूचनार्थ।
2. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता, प्र.मं.आ.यो. नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
प्र.मं.आ.यो.
नगर पालिक निगम भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई जिला–दुर्ग(छ.ग.)
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

753

क्र0 / प्र.मं.आ.यो. / न.नि. / 2025 / 10 भिलाई, दिनांक 6 / 1 / 2025

प्रति,

मेसर्स चन्द्र निर्माण प्रा.लि.
विला नं.–22 मारूति लाईफ स्टाईल
जिला– रायपुर, (छ0ग0)

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना के ए.एच.पी. घटक अंतर्गत निर्माणाधीन 1120 यूनिट में आवास निर्माण एवं बाह्य विकास कार्य के संबंध में।

संदर्भः–
1. कार्यादेश क्र. 76 दिनांक 05/05/2018 ।
2. पुनः कार्यादेश क्र./न.नि./1047 भिलाई दिनांक 07.08.2023।
3. कार्यालय का पत्र क्र./725/प्र.मं.आ.यो./2024 भिलाई दिनांक 14.11.2024।
4. कार्यालय का पत्र क्र./766/प्र.मं.आ.यो./2024 भिलाई दिनांक 04.12.2024।
5. कार्यालय का पत्र क्र./792/प्र.मं.आ.यो./2024 भिलाई दिनांक 13.12.2024।
6. कार्यालय का पत्र क्र./807/प्र.मं.आ.यो./2024 भिलाई दिनांक 16.12.2024।

–––000–––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 1120 यूनिट एएचपी घटक के आवास निर्माण एवं बाह्य विकास का कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। जिसमें 588 यूनिट आवास निर्माण कार्य फिनिशिंग स्तर पर है एवं 532 यूनिट आवास निर्माण एवं बाह्य विकास कार्य प्रगतिरत है। आपके द्वारा पर्याप्त मात्रा में मेन पावर एवं संसाधन नहीं लगाये जाने के कारण आज दिनांक तक आवास अधुरे है। हितग्राहियों को समय पर व्यवस्थापित/भौतिक अधिपत्य नही दिये जाने के निकाय की छवि धुमिल हो रही है। जो कि खेदजनक है एवं योजना के प्रति आपकी उदासीनता को दर्शाता है। पूर्व में संबंधित पत्र के माध्यम से समय–समय पर आपको आवास निर्माण एवं बाह्य विकास कार्य के धीमी प्रगति के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है किन्तु आज दिनांक तक आपके द्वारा कार्य आपेक्षित है।

अतः उपरोक्तानुसार जिन हितग्राहियों द्वारा 50 प्रतिशत से अधिक हितग्राही अंशदान जमा कर दिया गया है उक्त आवासों की सूची आपको उपलब्ध करायी जा रही है। ऐसे आवासों को प्राथमिकता से 15 दिवस के भीतर आवास पूर्ण कर कार्यालय को अवगत करावे ताकि हितग्राहियों को समय पर व्यवस्थापित/भौतिक आधिपत्य प्रदान किया जा सके।

संलग्नः– 50 प्रतिशत से अधिक जमा किये गये 37 हितग्राहियों की सूची।

कार्यपालन अभियंता
प्र.मं.आ.यो.
नगर पालिक निगम,भिलाई

पृ0क्र0 / /प्र.मं.आ.यो/न.पा.नि./2025 भिलाई, दिनांक / /2025

प्रतिलिपि :–
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, अटल नगर नवा रायपुर, को सूचनार्थ।
2. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता, प्र.मं.आ.यो. नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
प्र.मं.आ.यो.
नगर पालिक निगम,भिलाई

कायालय नगर पालिक निगम, भिलाई जिला–दुर्ग (छ.ग.)
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

क्र0 / प्र.मं.आ.यो. / न.नि. / 2025 / 78 भिलाई, दिनांक 04/02/2025

प्रति,

मेसर्स चन्द्र निर्माण प्रा.लि.
विला नं.–22 मारूति लाईफ स्टाईल
जिला– रायपुर, (छ0ग0)

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना के ए.एच.पी. घटक अंतर्गत निर्माणाधीन 1120 यूनिट में आवास निर्माण एवं बाह्य विकास कार्य के संबंध में।

संदर्भः–
1.कार्यादेश क्र. 76 दिनांक 05/05/2018 ।
2. पुनः कार्यादेश क्र./न.नि./1047 भिलाई दिनांक 07.08.2023।
3. कार्यालय का पत्र क्र./9/न.पा.नि./भिलाई दिनांक 02.04.2024।
4. कार्यालय का पत्र क्र./51/न.पा.नि./भिलाई दिनांक 19.04.2024।
5. कार्यालय का पत्र क्र./137/न.पा.नि./भिलाई दिनांक 20.05.2024।
6. कार्यालय का पत्र क्र./371/न.पा.नि./भिलाई दिनांक 19.07.2024।
7. कार्यालय का पत्र क्र./595/न.पा.नि./भिलाई दिनांक 12.09.2024।
8. कार्यालय का पत्र क्र./620/न.पा.नि./भिलाई दिनांक 20.09.2024।
9. कार्यालय का पत्र क्र./725/न.पा.नि./भिलाई दिनांक 14.11.2024।
10.कार्यालय का पत्र क्र./766/न.पा.नि./भिलाई दिनांक 04.12.2024।
11.कार्यालय का पत्र क्र./792/न.पा.नि./भिलाई दिनांक 13.12.2024।
12.कार्यालय का पत्र क्र./807/न.पा.नि./भिलाई दिनांक 16.12.2024।
13.कार्यालय का पत्र क्र./852/न.पा.नि./भिलाई दिनांक 31.12.2024।
14.कार्यालय का पत्र क्र./10/न.पा.नि./भिलाई दिनांक 06.01.2025।

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 1120 यूनिट एएचपी घटक के आवास निर्माण एवं बाह्य विकास कार्य हेतु आपको संदर्भित सरल क्र. 01 दिनांक 05.05.2018 अनुसार कार्यादेश प्रदत्त किया गया था। जिसमें आपके द्वारा किये गये कार्यो की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:–

1. प्रदत्त किये गये कार्यादेश अनुसार स्थल पर ले–आउट उपलब्ध कराकर कार्य प्रारंभ करने हेतु पत्र क्र. 978 दिनांक 01.08.2018 अनुसार पत्र प्रेषित किया गया था। तदपश्चात आपके द्वारा स्थल पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया।
2. कार्यालय के पत्र क्र./2020/23 दिनांक 06.01.2020 अनुसार Without Penalty दिनांक 05.11.2020 तक समयवृद्धि प्रदत्त किया गया। जिसमें आपके द्वारा 30 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया।
3. तद्पश्चात आपके द्वारा दिनांक 06.11.2020 तक 45 प्रतिशत कार्य पूर्ण कार्य किये जाने के उपरांत दिनांक 05.05.2021 तक समयवृद्धि हेतु प्रस्तुत आवेदन के आधार पर कोविड–19 महामारी के कारण दिनांक 05.05.2021 तक Without Penalty समयवृद्धि प्रदत्त किया गया।
4. कार्यालय के पत्र क्र. 05 दिनांक 04.01.2021, पत्र क्र.48 दिनांक 19.01.2021 एवं पत्र क्र. 104 दिनांक 18.02.2021 अनुसार कार्य की धीमी गति के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया ।
5. आपके द्वारा समयवृद्धि हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 03.11.2021 के अनुक्रम में नियम शर्तो के अधीन Without Penalty समयवृद्धि दिनांक 04.01.2022 प्रदत्त किया गया ।
6. आपके आवेदन पर पुनः आपको दिनांक 04.07.2022 तक Without Penalty समयवृद्धि प्रदत्त किया गया। तद् पश्चात् कार्यालय के पत्र क्र. 511 दिनांक 27.12.2022, पत्र क्र. 600 दिनांक 10.02.2023, पत्र क्र. 636 दिनांक 23.02.2023, एवं पत्र क्र. 738 दिनांक 19.04.2023 अनुसार कोई भी कार्य प्रारंभ नही किये जाने एवं कार्य स्थल पर कार्य बंद पाये जाने की स्थिति में कार्य प्रारंभ कर शेष सभी कार्य को पूर्ण करने हेतु आपको समय–समय पर सूचित किया गया, किन्तु आपके द्वारा उक्त निर्देशों का पालन नही किया गया।

क्रमशः

आपके द्वारा कार्य नहीं किये जाने के कारण अनुबंध को समाप्त करते हुये कार्यादेश इस कार्यालय के पत्र क्र./प्र.मं.आ.यो./न.पा.नि./945, भिलाई दिनांक 10.07.2023 के तहत् निरस्त किया गया था। तदउपरांत आपके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार करते हुये आपके द्वारा दिये गये बार-चार्ट अनुसार उक्त कार्य के लिये आपको पुनः कार्यादेश प्रदत्त किया गया ।

8. कंडिका 08 अनुसार आपके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं समयवद्ध कार्ययोजना (बार-चार्ट) के अनुसार दिये गये पुनः कार्यादेश अनुसार छत पूर्ण 560 आवासों को 31.10.2023 तक पूर्ण किये जाने तथा शेष प्लिंथ स्तर पर 560 आवासों को 31.03.2024 तक पूर्ण किया जाना था। उपरोक्त कार्य पूर्ण करने हेतु आपको दिनांक 31.12.2024 तक समयवृद्धि प्रदान की गई ।
9. नगर पालिक निगम, भिलाई द्वारा संदर्भित पत्र सरल क्र. 3 से 14 अनुसार पत्रों के माध्यम से समय-समय पर आपको कार्य की प्रगति के संबंध में सूचित किया गया है, किन्तु आपके द्वारा कार्य पर न ही रूचि दिखाई गई और न ही कार्य पूर्ण करने हेतु कोई प्रगति दिखाई गई।
10. उपरोक्त कृत्यों के कारण एवं कार्य की धीमी प्रगति के कारण 179 हितग्राहियों के द्वारा शत् प्रतिशत पूर्ण किश्त जमा कर दिया गया है उन सभी हितग्राहियों को आपके द्वारा आवास उपलब्ध नही कराये जाने के कारण हितग्राहियों को समस्या हो रही है। जिससे केन्द्र एवं राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना में अन्य आय वर्ग व्यक्तियों को आवास प्रदान किये जाने के लक्ष्य में नगर पालिक निगम भिलाई एवं शासन की छवि धूमिल हो रही है। जिसके लिए आप उत्तरदायी है।

अतः कारण दर्शित करें कि अनुबंध कंडिका 1.15 का पालन नहीं करने के कारण आपका अनुबंध समाप्त करते हुये क्यों न आपके कार्यादेश निरस्त कर धरोहर राशि एवं सुरक्षित राशि राजसात करते हुये आपके कार्य को काली सूची में दर्ज करने एवं भविष्य में समस्त निविदाओं में भाग लेने से आपको वंचित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जावे। समय-सीमा में कार्य पूर्ण नहीं करने तथा समाधानप्रद जवाब प्रस्तुत नही करने पर आपके विरूद्ध किये जाने वाली कार्यवाही हेतु आप स्वतः उत्तरदायी होंगे।

आयुक्त
नगर पालिक निगम,
भिलाई

पृ0क्र0/ 79 /प्र.मं.आ.यो/न.पा.नि./2025 भिलाई, दिनांक 04/02/2025

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, अटल नगर नवा रायपुर, को सूचनार्थ।
2. अधीक्षण अभियंता, सह नोडल अधिकारी (प्र.मं.आ.यो.) नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
3. मेसर्स सावजानी, ए.एण्ड.ई. पी.एम.सी. कंसलटेंट को सूचनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम,
भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई जिला–दुर्ग(छ.ग.)
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

क्र0 / प्र.मं.आ.यो. / न.नि. / 2025 / 167 भिलाई, दिनांक 27 / 2 / 2025

प्रति,

मेसर्स चन्द्र निर्माण प्रा.लि.
विला नं.–22 मारूति लाईफ स्टाईल
जिला– रायपुर, (छ0ग0)

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना के ए.एच.पी. घटक अंतर्गत निर्माणाधीन 1120 यूनिट में आवास निर्माण एवं बाह्य विकास कार्य के संबंध में।

संदर्भः–
1.कार्यादेश क्र. 76 दिनांक 05 / 05 / 2018 ।
2. पुनः कार्यादेश क्र. / न.नि. / 1047 भिलाई दिनांक 07.08.2023 ।
3. कार्यालय का पत्र क्र. / 9 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 02.04.2024 ।
4. कार्यालय का पत्र क्र. / 51 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 19.04.2024 ।
5. कार्यालय का पत्र क्र. / 137 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 20.05.2024 ।
6. कार्यालय का पत्र क्र. / 371 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 19.07.2024 ।
7. कार्यालय का पत्र क्र. / 595 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 12.09.2024 ।
8. कार्यालय का पत्र क्र. / 620 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 20.09.2024 ।
9. कार्यालय का पत्र क्र. / 725 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 14.11.2024 ।
10.कार्यालय का पत्र क्र. / 766 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 04.12.2024 ।
11.कार्यालय का पत्र क्र. / 792 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 13.12.2024 ।
12.कार्यालय का पत्र क्र. / 807 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 16.12.2024 ।
13.कार्यालय का पत्र क्र. / 852 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 31.12.2024 ।
14.कार्यालय का पत्र क्र. / 10 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 06.01.2025 ।
15.कार्यालय का पत्र क्र. / 78 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 04.02.2025 ।
16.आपका पत्र क्र. / 114 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 12.02.2025 ।

~~~000~~~

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपको प्रेषित संदर्भित पत्र सरल क्र. 15 के जवाब में संदर्भित पत्र सरल क्र. 16 के माध्यम से आपका पत्र प्राप्त हुआ है। आपके प्रेषित जवाब के संबंध में बिन्दुवार प्रतिवेदन निम्नानुसार हैः–

1. प्रदत्त किये गये कार्यादेश अनुसार स्थल पर ले–आउट उपलब्धं कराकर कार्य प्रारंभ करने हेतु पत्र क्र. 978 दिनांक 01.08.2018 अनुसार पत्र प्रेषित किया गया। तत्पश्चात आपके द्वारा कार्य 03 माह विलंब करते हुए कार्य प्रारंभ कर दिया गया। इससे स्पष्ट है कि कार्य प्रारंभ करने में आपके द्वारा विलंब किया गया है न कि नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा।
2. समयवृद्धि हेतु आपके प्रस्तुत आवेदन तथा बारचार्ट अनुसार एवं अनुबंध में उल्लेखित शर्तो के अधीन आपको समय–समय पर समयवृद्धि प्रदान किया गया था किन्तु आपके द्वारा कोविड 19 के महामारी के बाद एवं तत्पश्चात भुगतान के उपरांत भी आपके द्वारा बारचार्ट अनुसार कार्य नही करने के कारण तथा समय–समय पर निरंतर प्रेषित किये गये पत्राचार का पालन नहीं करने पर आपका कार्यादेश को समाप्त करते हुए आंपके निविदा को निरस्त किया गया था जिससे यह स्पष्ट है कि आपके द्वारा कार्य के प्रति निरंतर लापरवाही दिखाया गया है।
3. आपके द्वारा कार्य नहीं किये जाने के कारण अनुबंध को समाप्त करते हुये कार्यादेश इस कार्यालय के पत्र क्र. / प्र.मं.आ.यो. / न.पा.नि. / 945, भिलाई दिनांक 10.07.2023 के तहत् निरस्त किया गया था। तदउपरांत आपके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार करते हुये आपके द्वारा दिये गये बार–चार्ट अनुसार उक्त कार्य के लिये आपको पुनः कार्यादेश प्रदत्त किया गया ।
4. कोविड द्वितीय चरण के बाद शासन से निरंतर समय–समय पर राशि आंबटन किया गया है। किन्तु आपके द्वारा कार्य मे रूची नहीं लिये जाने के कारण एवं लेबर मशीनरी कम रखे जाने से कुछ ही कार्य पूर्ण कराया गया है। जिससे आपके द्वारा शासन की महत्वकांक्षी योजना पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हुये शासन की निधि का अवरोध किया जा रहा है।

क्रमशः
~~~

763

5. आपके द्वारा लोहा छड़ एम.एस विंडो कौर ग्रिल के चोरी होन का वर्णन करते हुए आर्थिक अधिभार पड़ने का उल्लेख किया है जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी है। उक्त सभी साइट वर्तमान में आपके द्वारा पूर्ण नहीं किये जाने के कारण स्थल आपके क्षेत्राधिकार में है।
6. स्थल पर बिना लिखित अनुमति के आपके द्वारा आवासों Skirting का कार्य नहीं किया गया है। आपके द्वारा वर्तमान में अब Skirting लगाने में अधिक समय लगने तथा अतिरिक्त लेबर भुगतान का उल्लेख किया गया है जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी है। इसके लिए समय–समय पर आपको लिखित सूचना भी दिया गया है।
7. कार्यालय द्वारा 1120 यूनिट आवासों मे केवल प्लिंथ स्तर के 560 आवासो का ही स्ट्रक्चर स्टेबलिटि शासकीय इंजिनियरिंग कालेज रायपुर मे कराने हेतु कार्य 31.05.2024 तक रिपोर्ट आने मे विलंब हुआ है जिसके लिए आपको 31.12.2024 तक समयवृद्धि प्रदत्त किया गया था किन्तु आपको समय–समय पर सूचित करने के उपरांत भी आपके द्वारा आज दिनांक तक 520 प्लिंथ स्तर में आवासो का कार्य प्रारंभ करके पूर्ण नहीं किया है।
8. स्ट्रक्चर स्टेबलिटि रिर्पोट के कारण केवल 560 आवासों के निर्माण कार्य दिनांक 31.05.2023 तक लंबित था। शेष 560 आवास जो छत पूर्ण था, उन सभी छत पूर्ण आवासो के निर्माण कार्य को पूर्ण करने आपको समय–समय पर सूचित किया गया था। आज दिनांक तक उक्त सभी आवास को आपके द्वारा पूर्ण कर दिया जाना था जो कि आपके द्वारा पूर्ण नहीं किया गया है। जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी है।
9. आपके द्वारा एच.टी.लाईन आने के कारण बी. पैकेट ब्लॉक नं. 10 के आगे के कार्य निष्पादन विलंब होने का उल्लेख किया गया है। उक्त संबंध में लेख है कि स्ट्रक्चर स्टेबलिटी रिर्पोट 31.05.2024 को आने के बाद आप के द्वारा प्लिंथ स्तर के 560 आवास को पूर्ण कर लिया जाना था।किन्तु आपके द्वारा माह नंवम्बर तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है जबकि एच.टी. लाईन नंवम्बर माह में विद्युत विभाग द्वारा लगया गया है जिसमें आपके ब्लॉक एच.टी लाईन से प्रभावित होने पर 02 माह के भीतर ही शिफ्टींग का कार्य विद्युत विभाग द्वारा पूर्ण किया गया तब तक आपके द्वारा अन्य ब्लॉको के प्लिंथ स्तर के आवासों को छत तक लाया जा सकता था। किन्तु शिफ्टींग के बाद भी आपके द्वारा आज दिनांक तक बी ब्लॉक सहित सभी प्लिंथ स्तर के आवासों के छत कार्य को पूर्ण नहीं किया गया है। जो कि खेदजनक है।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य शहरी विकास अधिकरण द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में आपके कार्य के प्रगति पर अत्यंत नराजगी जताते हुऐ आपके प्रतिनिधी के समक्ष समस्त निर्माण कार्य सहित सभी प्लिंथ स्तर के आवासों के छत पूर्ण कार्य पर्याप्त लेबर एवं मशीनरी के साथ दिनांक 31 मार्च 2025 तक सापेक्ष प्रगति होने पर ही आपको भुगतान किये जाने के निर्देश दिये गये है किन्तु दिनांक 01.02.2025 को लिए गये मीटिंग के बाद पिछले 03 सप्ताह से निरंतर स्थल निरीक्षण के दौरान आपके कार्य स्थल पर केवल 10–12 लेबर ही कार्य करते दिखाई दिये गये है। जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा कार्य की प्रगति धीमीरत रखने एवं निर्देशो का पालन नहीं करने से शासन एवं निगम की छवि धूमील हो रही है जिसके लिए स्वयं उत्तरदायी है।
11. सेप्टिंक टैंक के लिए जगह उपलब्ध नहीं होने के संबंध में आपके द्वारा कोई भी लिखित एवं मौखिक सूचना स्थल पर नही दिया गया है। स्थल पर जगह के अनुरूप निर्धारित कैपासिटी के अनुसार लंबाई एवं चौड़ाई को Adjust कर सैंप्टिक टैंक निर्माण किया जा सकता है किन्तु आपके द्वारा कार्य में रूचि नहीं लेने से सैंप्टिक टैंक का कार्य अधूरा है।
12. कार्यालय के पत्र क्र.648 दिनांक 26.09.2024 अनुसार आपको अनुबंध की शर्तो का स्पष्ट उल्लेख करते हुए तथ्यों के आधार पर आपको GST दरों में परिवर्तन के आधार पर की गई अतिरिक्त राशि की मांग के आवेदन को खारिज किया गया है। (संलग्न पत्र की प्रति)
13. आपके द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार 31 मार्च 2025 तक पर्याप्त लेबर मशीनरी के साथ तेजी से प्रगति दिखाये जाने पर ही आपके आवेदन PG बैंक गारंटी के विरूद्ध राशि मांग पर विचार किया जावेगा। पूर्व में आपके द्वारा जमा किये गये बैंक गारंटी के विरूद्ध आपको SD की राशि वापसी की गई है।
14. आपके द्वारा आज दिनांक तक कार्य को समय–सीमा में पूर्ण करने की न ही कोई कार्य योजना प्रस्तुत किया गया है न ही आपके द्वारा पूर्ण किस्त जमा 179 हितग्राहियों के आवासों को पूर्ण कर व्यवस्थापित किया गया है और न ही अब तक कार्य करने पर कोई रूची एवं प्रगति दिखाई गई है। आपके इस कृत्य से केन्द्र एवं राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना में निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को समय पर आवास प्रदान किये जाने के लक्ष्य में नगर पालिक निगम, भिलाई एवं शासन की छवि धूमिल हो रही है। जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी है।

क्रमशः

764

अतः उपरोक्तानुसार 31 मार्च 2025 तक समस्त कार्य पूर्ण करने स्पष्ट बार–चार्ट सहित कार्ययोजना शीघ्र ही प्रस्तुत करें। प्रस्तुत किये गये बार–चार्ट एवं कार्ययोजना संतोषप्रद होने पर ही आपके आवेदन पर विचार किया जावेगा अन्यथा की स्थिति में समाधानकारक जवाब प्रस्तुत न करने पर अनुबंध की शर्तो के अनुरूप एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी स्वयं की होगी।

आयुक्त
नगर पालिक निगम,
भिलाई

पृ0क्र0 168 / प्र.मं.आ.यो / न.पा.नि. / 2025 भिलाई, दिनांक 27 / 2 / 2025

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, अटल नगर, नवा रायपुर को सूचनार्थ।
2. संचालक, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,अटल नगर, नवा रायपुर को सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, अटल नगर नवा रायपुर, को सूचनार्थ।
4. अधीक्षण अभियंता, सह नोडल अधिकारी (प्र.मं.आ.यो.) नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
5. मेसर्स सावजानी, ए.एण्ड.ई. पी.एम.सी. कंसलटेंट राजकोट, गुजरात को सूचनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम,
भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई जिला–दुर्ग(छ.ग.)
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

क्र0 / प्र.मं.आ.यो. / न.नि. / 2025 / 290 भिलाई, दिनांक 07/4/2025

प्रति,

मेसर्स चन्द्र निर्माण प्रा.लि.
विला नं.–22 मारूति लाईफ स्टाईल
जिला– रायपुर, (छ0ग0)

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना के ए.एच.पी. घटक अंतर्गत निर्माणाधीन 1120 यूनिट में आवास निर्माण एवं बाह्य विकास कार्य के संबंध में।

संदर्भः– 1.कार्यादेश क्र. 76 दिनांक 05 / 05 / 2018 ।
2. पुनः कार्यादेश क्र. / न.नि. / 1047 भिलाई दिनांक 07.08.2023।
3. कार्यालय का पत्र क्र. / 9 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 02.04.2024।
4. कार्यालय का पत्र क्र. / 51 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 19.04.2024।
5. कार्यालय का पत्र क्र. / 137 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 20.05.2024।
6. कार्यालय का पत्र क्र. / 371 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 19.07.2024।
7. कार्यालय का पत्र क्र. / 595 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 12.09.2024।
8. कार्यालय का पत्र क्र. / 620 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 20.09.2024।
9. कार्यालय का पत्र क्र. / 725 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 14.11.2024।
10.कार्यालय का पत्र क्र. / 766 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 04.12.2024।
11.कार्यालय का पत्र क्र. / 792 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 13.12.2024।
12.कार्यालय का पत्र क्र. / 807 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 16.12.2024।
13.कार्यालय का पत्र क्र. / 852 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 31.12.2024।
14.कार्यालय का पत्र क्र. / 10 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 06.01.2025।
15.कार्यालय का पत्र क्र. / 78 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 04.02.2025।
16.कार्यालय का पत्र क्र. / 167 / न.पा.नि. / भिलाई दिनांक 27.02.2025।

~~~~000~~~~

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत सूर्या विहार के पीछे जुनवानी में 1120 यूनिट एएचपी घटक के आवास निर्माण एवं बाह्य विकास का कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। स्थल निरीक्षण के दौरान आपके द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार हैः–

1. आज दिनांक तक छत पूर्ण 560 आवासों को पूर्ण तथा प्लिंथ स्तर में शेष 560 आवासों को फिनिशिंग स्तर तक पूर्ण कर लिया जाना था किन्तु आपके द्वारा कार्य के प्रति रूचि नहीं लेने के कारण उक्त सभी आवास निर्माण कार्य पूर्ण नहीं है।
2. पूर्ण किश्त जमा किये कुल 213 हितग्राहियों का आवास पूर्ण कराकर आज दिनांक तक व्यवस्थापित कर दिया जाना था, किन्तु अब तक 213 हितग्राहियों में से केवल 30 हितग्राहियों के आवास को पूर्ण करके व्यवस्थापित किया गया है, जो कि अत्यंत खेदजनक है।
3. दिनांक 31.03.2025 तक शेष सभी कार्यो को पूर्ण करने एवं सापेक्ष प्रगति के संबंध में समयबद्ध कार्ययोजना एवं बार–चार्ट प्रस्तुत करने हेतु आपको पत्र प्रेषित किया गया, जिसके जवाब में आपके द्वारा प्रस्तुत बार चार्ट के उपरांत निरन्तर स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें आपके द्वारा पर्याप्त संख्या में लेबर, मशीनरी एवं सामाग्री नहीं लगाये जाने के कारण कार्य की प्रगति अत्यंत धीमीरत् पाया गया है तथा आज दिनांक 03.04.2025 को स्थल निरीक्षण के दौरान केवल 20 लेबर ही कार्य करने पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अपने ही प्रस्तुत बार–चार्ट का एवं कार्य पूर्ण करने हेतु नगर पालिक निगम, भिलाई द्वारा दिये गये समय–सीमा का न तो पालन किया जा रहा है और नही कार्य के प्रति रूचि ली जा रही है।

क्रमशः
~~~~

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके द्वारा समयबद्ध, स्पष्ट एवं संतोषजनक विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत नहीं करने के कारण आपको अंतिम चेतवानी देते हुये दिनांक 08.04.2025 को संशोधित विस्तृत कार्ययोजना, बार-चार्ट एवं वचनबद्ध हेतु शपथ पत्र के साथ स्वयं उपस्थित होना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में अनुबंध के नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी स्वयं की होगी।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

कार्यपालन अभियंता
प्र.मं.आ.यो.
नगर पालिक निगम,
भिलाई

पृ0क्र0 /291 /प्र.मं.आ.यो/न.पा.नि./2025 भिलाई, दिनांक 07/4 /2025

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, अटल नगर नवा रायपुर, को सूचनार्थ।
2. आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता, सह नोडल अधिकारी (प्र.मं.आ.यो.) नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
4. मेसर्स सावजानी, ए.एण्ड.ई. पी.एम.सी. कंसलटेंट राजकोट, गुजरात को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
प्र.मं.आ.यो.
नगर पालिक निगम,
भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई जिला–दुर्ग(छ.ग.)
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

क्र0/प्र.मं.आ.यो./न.नि./2025/436 भिलाई, दिनांक 25/4/2025

प्रति,

मेसर्स चन्द्र निर्माण प्रा.लि.
विला नं.–22 मारूति लाईफ स्टाईल
जिला– रायपुर, (छ0ग0)

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना के ए.एच.पी. घटक अंतर्गत निर्माणाधीन 1120 यूनिट में आवास निर्माण एवं बाह्य विकास कार्य के संबंध में।

संदर्भः–
1.कार्यादेश क्र. 76 दिनांक 05/05/2018 ।
2. पुनः कार्यादेश क्र./न.नि./1047 भिलाई दिनांक 07.08.2023 ।
3. कार्यालय का पत्र क्र./9/न.पा.नि./भिलाई दिनांक 02.04.2024 ।
4. कार्यालय का पत्र क्र./51/न.पा.नि./भिलाई दिनांक 19.04.2024 ।
5. कार्यालय का पत्र क्र./137/न.पा.नि./भिलाई दिनांक 20.05.2024 ।
6. कार्यालय का पत्र क्र./371/न.पा.नि./भिलाई दिनांक 19.07.2024 ।
7. कार्यालय का पत्र क्र./595/न.पा.नि./भिलाई दिनांक 12.09.2024 ।
8. कार्यालय का पत्र क्र./620/न.पा.नि./भिलाई दिनांक 20.09.2024 ।
9. कार्यालय का पत्र क्र./725/न.पा.नि./भिलाई दिनांक 14.11.2024 ।
10.कार्यालय का पत्र क्र./766/न.पा.नि./भिलाई दिनांक 04.12.2024 ।
11.कार्यालय का पत्र क्र./792/न.पा.नि./भिलाई दिनांक 13.12.2024 ।
12.कार्यालय का पत्र क्र./807/न.पा.नि./भिलाई दिनांक 16.12.2024 ।
13.कार्यालय का पत्र क्र./852/न.पा.नि./भिलाई दिनांक 31.12.2024 ।
14.कार्यालय का पत्र क्र./10/न.पा.नि./भिलाई दिनांक 06.01.2025 ।
15.कार्यालय का पत्र क्र./78/न.पा.नि./भिलाई दिनांक 04.02.2025 ।
16.कार्यालय का पत्र क्र./167/न.पा.नि./भिलाई दिनांक 27.02.2025 ।
17.कार्यालय का पत्र क्र./290/न.पा.नि./भिलाई दिनांक 07.04.2025 ।

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि दिनांक 23.04.2025 को सचिव महोदय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा आयोजित बैठक में ए.एच.पी. घटक अंतर्गत निर्माणाधीन 1120 यूनिट एएचपी घटक के आवास निर्माण एवं बाह्य विकास का कार्य के प्रगति के संबंध में आपके प्रतिनिधि आशीष नन्दीग्रामवार के माध्यम से आपको निर्देशित किया गया है कि :–

1.1120 यूनिट आवास में आज दिनांक तक कुल 524 हितग्राहियों का आबंटन किया गया है, आबंटित हितग्राहियों के आवासों को 31.05.2025 तक अंतिम समय निर्धारित करते हुये सभी आवासों को पूर्ण किया जाना है ताकि समय–सीमा में हितग्राहियों को शिफ्ट किया जा सकें।

2. आवास निर्माण एवं बाह्य विकास कार्य में प्रतिदिन स्थल अनुसार कार्यरत लेबर, मशीनरी की जानकारी तथा जियोटैग फोटोग्राफ ग्रुप साझा किया जाना है। पर्याप्त लेबर एवं मशीनरी नहीं होने की स्थिति में जो भी वैधानिक कार्यवाही की जावेगी उसके लिये आप स्वयं जिम्मेंदार होंगे।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि सचिव महोदय द्वारा प्राप्त निर्देशों का निर्वहन करते हुये समयसीमा में आवास निर्माण एवं बाह्य विकास कार्य को पूर्ण करें तथा आपके द्वारा किये जाने वाले कार्य की साप्ताहिक कार्ययोजना 03 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें एवं नियमानुसार समयावृद्धि लेकर प्रदत्त समय–सीमा में कार्य पूर्ण करें अन्यथा की स्थिति में 31.05.2025 तक उक्त सभी हितग्राहियों के आवास निर्माण पूर्ण नहीं करने पर निविदा निरस्त करने एवं आपको ब्लैकलिस्ट करते हुए धरोहर राशि, सुरक्षित राशि एवं शेष बचे कार्य का 10%राशि को राजसात करने की समस्त कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी स्वयं की होगी।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

कार्यपालन अभियंता
प्र.मं.आ.यो.
नगर पालिक निगम,
भिलाई

क्रमशः

पृ0क्र0 / 437 / प्र.मं.आ.यो / न.पा.नि. / 2025 भिलाई, दिनांक 25 / 4 / 2025

प्रतिलिपि :-

1. सचीव महोदय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,अटल नगर नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,राज्य शहरी विकास अभिकरण,अटल नगर नवा रायपुर, को सूचनार्थ।
2. आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता, सह नोडल अधिकारी (प्र.मं.आ.यो.) नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
4. मेसर्स सावजानी, ए.एण्ड.ई. पी.एम.सी. कंसलटेंट राजकोट, गुजरात को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
प्र.मं.आ.यो.
नगर पालिक निगम,
भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई जिला–दुर्ग(छ.ग.)
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

क्र0 / प्र.मं.आ.यो. / न.नि. / 2025 / 523 भिलाई, दिनांक 5 / 5 / 2025

प्रति,

मेसर्स चन्द्र निर्गाण प्रा.लि.
विला नं.–22 मारूति लाईफ स्टाईल
जिला– रायपुर, (छ0ग0)

विषयः– "प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिए आवास मिशन" एएचपी अंतर्गत निर्माणाधीन 1120 यूनिट आवास में निर्मित आवासों के समयवृद्धि के संबंध में।

संदर्भः–
1. आपका पत्र दिनांक 25.04.2025।
2. कार्यादेश क्र. 76 दिनांक 05 / 05 / 18 ।
3. पुनः कार्यादेश क्र / न.नि. / 1047 / भिलाई दिनांक 07.08.2023।

---000---

विषयांतर्गत लेख है प्रधानमंत्री आवास योजना एएचपी घटक अंतर्गत 1120 यूनिट के आवास निर्माण एवं बाह्य विकस कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। जिसमें उक्त कार्य हेतु पूर्व में आपको 31.03.2025 तक समयवृद्धि प्रदत्त किया गया था। संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा 31.10.2025 तक समयवृद्धि हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आपके प्रस्तुत आवेदन का परीक्षण उपरांत आयुक्त महोदय द्वारा हितग्राहियों को आबंटित हो चुके आवासों को दिनांक 31.05.2025 तक पूर्ण करने की शर्त पर 0.50 % दण्डविधान सहित दिनांक 31.08.2025 तक समयवृद्धि दिये जाने का अनुमोदन किया गया है।

अतः प्रधानमंत्री आवास योजना एएचपी घटक अंतर्गत 1120 यूनिट के आवास निर्माण एवं बाह्य विकस कार्य के सभी कार्य को निर्धारित समयावधि दिनांक 31.08.2025 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अनुबंध के नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी स्वयं की होगी।

आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित

कार्यपालन अभियंता
प्र.मं.आ.यो.(शहरी)
नगर पालिक निगम,भिलाई

पृ0क्र0 / / प्र.मं.आ.यो / न.पा.नि. / 2025 भिलाई, दिनांक / / 2025

प्रतिलिपि :–
1. आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
2. अधीक्षण अभियंता, प्र.मं.आ.यो. नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
3. पी.एम.सी. एजेंसी सावजानी ए.एण्ड.ई. राजकोट, गुजरात को सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
प्र.मं.आ.यो.(शहरी)
नगर पालिक निगम,भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई जिला–दुर्ग(छ.ग.)
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

क्र0 / प्र.मं.आ.यो. / न.नि. / 2025 / 523 भिलाई, दिनांक 5 / 5 / 2025

प्रति,

मेसर्स चन्द्र निर्माण प्रा.लि.
विला नं.–22 मारूति लाईफ स्टाईल
जिला– रायपुर, (छ0ग0)

विषयः– ''प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिए आवास मिशन'' एएचपी अंतर्गत निर्माणाधीन 1120 यूनिट आवास में निर्मित आवासों के समयवृद्धि के संबंध में।

संदर्भः–
1. आपका पत्र दिनांक 25.04.2025।
2. कार्यादेश क. 76 दिनांक 05 / 05 / 18 ।
3. पुनः कार्यादेश क्र / न.नि. / 1047 / भिलाई दिनांक 07.08.2023।

---000---

विषयांतर्गत लेख है प्रधानमंत्री आवास योजना एएचपी घटक अंतर्गत 1120 यूनिट के आवास निर्माण एवं बाहय विकस कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। जिसमें उक्त कार्य हेतु पूर्व में आपको 31.03.2025 तक समयवृद्धि प्रदत्त किया गया था। संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा 31.10.2025 तक समयवृद्धि हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आपके प्रस्तुत आवेदन का परीक्षण उपरांत आयुक्त महोदय द्वारा हितग्राहियों को आबंटित हो चुके आवासों को दिनांक 31.05.2025 तक पूर्ण करने की शर्त पर 0.50 % दण्डविधान सहित दिनांक 31.08.2025 तक समयवृद्धि दिये जाने का अनुमोदन किया गया है।

अतः प्रधानमंत्री आवास योजना एएचपी घटक अंतर्गत 1120 यूनिट के आवास निर्माण एवं बाहय विकस कार्य के सभी कार्य को निर्धारित समयावधि दिनांक 31.08.2025 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अनुबंध के नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी स्वयं की होगी।

आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित

कार्यपालन अभियंता
प्र.मं.आ.यो.(शहरी)
नगर पालिक निगम,भिलाई

पृ0क्र0 / 524 / प्र.मं.आ.यो / न.पा.नि. / 2025 भिलाई, दिनांक 5 / 5 / 2025

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
2. अधीक्षण अभियंता, प्र.मं.आ.यो. नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
3. पी.एम.सी. एजेंसी सावजानी ए.एण्ड.ई. राजकोट, गुजरात को सूचनार्थ।

कार्यपालन अभियंता
प्र.मं.आ.यो.(शहरी)
नगर पालिक निगम,भिलाई